आउटकम /परफॉरमैंस बजट 2020–21

विभाग का नाम–अर्थ एवं संख्या विभाग।

धनराशि लाख रू0 में

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2020 की सम्भवित स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्ट) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्ट) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजिगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय	प्रदेश में सांख्यिकी व्यवस्था को सुदृढ करना	**2852.55**	–	–	–	403कर्मचारियों/अधिकारियों का अधिष्ठान व्यय	राज्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में गुणवत्ता परक एवं समयबद्व आंकडे उपलब्ध कराते हुए नीति नियोजन में सहयोग हेतु लगभग 10 अध्ययन/सर्वेक्षणों का प्रकाशन	01 वर्ष
2	एन0आई0सी0 स्टेट युनिट को अनुदान	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई के रखरखाव हेतु अनुदान	**5.00**	–	–	–	एन0आई0सी0 की क्षमता में वृद्वि	एन0आई0सी0 द्वारा विभागों को दिये जाने वाली सेवओं में वृद्वि	01 वर्ष
3	बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान	बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित कार्यक्रमों के भौतिक प्रगति के अनुश्रवण हेतु अधिष्ठान	**157.81**	–	–	–	13 कर्मचारियों/अधिकारियों का अधिष्ठान व्यय	राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को प्रभावी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा कम से कम 02 योजनाओं का स्थलीय सत्यापन एवं मूल्यांकन व्यवस्था	01 वर्ष

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आउटकम बजट 2020–21

धनराशि रू. लाख में

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2020–21	01–04–2019 की स्थिति (बेस लाईन)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम)	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4		7		5	8
राज्यपोषित योजनाऐं								
मदरसों हेतु विविध अनुदान	राज्य के मदरसों में मूल–भूत सुविधाओं यथा बिजली–पानी, फर्नीचर, वॉटर प्यूरिफायर, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिया जाता है।	100.01		SDG-1	• लगभग 10 मदरसों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य। • मदरसों में शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं आदि का सुधार। • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना।		10 Madrasa	01वर्ष
पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कियान्वयन पर व्यय	मा.प्रधानमत्री जी के 15–सूत्रीय कार्यक्रम योजनान्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु अनुदान।	8.00		SDG-1	• नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं अन्य कार्यो हेतु व्यय। • भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना।	1	01-Unit	02–वर्ष
अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृति	राज्य में गरीबी की रेखा से दोगुनी आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	203.00		SDG-1	• लगभग 30 हजार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान। • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।	9865	30,000 Students	शैक्षिक सत्र
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राऐं जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/ उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य परीक्षा अथवा मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।	10.00		SDG-1	• लगभग 50 लाभार्थियों को प्रोत्साहन योजना का भुगतान। • आई.ए.एस./पी.सी.एस, आई.आई.एम/आई.आई.टी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढाना।	9	50 Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जिला कार्यालयों, मदरसा शिक्षा परिषद, अल्पसंख्यक आयोग आदि अन्य इकाईयों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी किया जाना।	124.25		SDG-1	• अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य अधिष्ठानों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण। • निदेशालय अन्तर्गत 18 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। • विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन एवं मूल्यांकन।	1	01 Office	वित्तीय वर्ष
मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउण्डेशन	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु अधिकतम ₹5.00लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।	40.00		SDG-1	• अल्पसंख्यक व्यक्तियों को शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना। • ऋण के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपना स्वयं का उद्योग स्थापित किया जाना। • बैकों की निरभरता समाप्त।		100 Students	वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2020–21	01–04–2019 की स्थिति (बेस लाईन)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम)	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4		7		5	8
अल्पसंख्यक विकास निधि	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की स्थापना की गयी है।	300.00		SDG-10	• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी मॉग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास।	12	50 Projects	वित्तीय वर्ष
जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जिलास्तर पर कियान्वित एवं संचालन हेतु 04 जिला स्तरीय कार्यालयों का गठन किया गया है।	140.45		SDG-1	• अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य अधिष्ठानों पर जिलास्तरीय वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण। • जिला कार्यालयों में 29 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात है। • विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन एवं मूल्यांकन।	4	04 Office	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान।	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएँ जिनकी द्वारा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।	200.00		SDG-1	• छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। • अनुदान प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।	589	1488 Girls Students	शैक्षिक सत्र
मुख्यमंत्री हुनर योजना	अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, द्वारा संचालित योजनाओं यथा जीविका प्रोत्साहन योजना, रहबर योजना, महिलाओं को सिलाई कठाई योजना को सम्मिलित करते हुए हुनर योजना बनायी गयी है।	150.00		SDG-1	• जीविका अवसर प्रोत्साहन हेतु कौशलवृद्धि प्रशिक्षण। • बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।	611	925 Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
अल्पसख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना	बेरोजगार अल्पसंख्यकों को स्वयं का कारोबार स्थापित किये जाने हेतु ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।	200.00		SDG-1	• योजना के अर्न्तगत योजना लागत ₹1.00 लाख तक का ऋण। • स्वरोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाना।		454- Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य।	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार कब्रिस्तान की चाहर–दिवारी, खण्ड़जा निर्माण आदि निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया जाता है।		501.01	SDG-10	• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी मॉग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास।	57	20-Project	वित्तीय वर्ष
कब्रिस्थानों में चाहर–दिवारी का निर्माण।	प्रदेश में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कब्रिस्थानों की चाहर–दिवारी के निर्माण हेतु।		1000.01	SDG-10	• चिन्हित कब्रिस्तानों को अनाधिकृत कब्जो से मुक्त किया जाना। • जंगली जानवरों से सुरक्षा।	163	595	वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटपुट) वर्ष 2020–21	01–04–2019 की स्थिति (बेस लाईन)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड आउटकम)	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4		7		5	8
केन्द्रपोषित योजनाऐं								
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (90:10 CSS)	केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहा पर 50 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत् है ऐसे क्षेत्रों में इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कराया जाता है।	20.00	2500.00	SDG-10	• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक, छात्रावास का निर्माण कराया जाना। • क्षेत्र में पठन–पाठ्न की सुविधा। • रोजगार परक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जाना।	83 Project	60-Project	वित्तीय वर्ष (पंचवर्षीय योजना)
अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृति (100%CSS)	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।	7.01		SDG-1	• छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।	2830	3646- Students	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृति (100%CSS)	अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।	4.01		SDG-1	• छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।	524	438- Students	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृति (100%CSS)	अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाती है।	7.01		SDG-1	• छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप–आउट को न्यून किया जाना। • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।	21268	21874- Students	वित्तीय वर्ष

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

धनराशि रू. लाख में

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले (धनराशि लाख रू.में)		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्यपोषित योजनाऐं								
मदरसों हेतु विविध अनुदान	राज्य के मदरसों में मूल–भूत सुविधाओं यथा बिजली–पानी, फर्नीचर, वॉटर प्यूरिफायर, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिया जाता है।	20.01				10 Madrasa	10 Madrasa	वित्तीय वर्ष
पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कियान्वयन पर व्यय	मा.प्रधानमत्री जी के 15–सूत्रीय कार्यक्रम योजनान्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु अनुदान।	10.00		1	1	01-Unit	01-Unit	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृति	राज्य में गरीबी की रेखा से दोगुनी आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	380.55		9865	15000	30,000 Students	30,000 Students	वित्तीय वर्ष
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राऐं जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य परीक्षा अथवा मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।	10.00		9	22	50-Beneficiaries	50-Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जिला कार्यालयों, मदरसा शिक्षा परिषद, अल्पसंख्यक आयोग आदि अन्य इकाईयों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय	101.82		1	1	01-Office	01-Office	वित्तीय वर्ष

धनराशि रू. लाख में

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले (धनराशि लाख रू.में)		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	स्वीकृतियां जारी किया जाना।							
मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउण्डेशन	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु अधिकतम ₹5.00लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।	10.00		0	58	100 Students	100 Students	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक विकास निधि	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की स्थापना की गयी है।	300.00		12	30	50 Projects	50 Projects	वित्तीय वर्ष
जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जिलास्तर पर कियान्वित एवं संचालन हेतु 04 जिला स्तरीय कार्यालयों का गठन किया गया है।	132.29		4	4	04-District Office	04-District Office	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान।	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं जिनकी द्वारा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।	190.00		589	1240	1488 Girls Students	1488 Girls Students	वित्तीय वर्ष
मुख्यमंत्री हुनर योजना	अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, द्वारा संचालित योजनाओं यथा	200.00		611	500	925 Beneficiaries	925 Beneficiaries	वित्तीय वर्ष

धनराशि रू. लाख में

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले (धनराशि लाख रू.में)		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जीविका प्रोत्साहन योजना, रहबर योजना, महिलाओं को सिलाई कठाई योजना को सम्मिलित करते हुए हुनर योजना बनायी गयी है।							
अल्पसख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना	बेरोजगार अल्पसंख्यकों को स्वयं का कारोबार स्थापित किये जाने हेतु ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।		200.00		20	454-Beneficiaries	454-Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य।	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार कब्रिस्तान की चाहर–दिवारी, खण्ड़जा निर्माण आदि निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया जाता है।		400.00	57	77	20-Project	20-Project	वित्तीय वर्ष
कब्रिस्तानों में चाहर–दिवारी का निर्माण।	प्रदेश में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कब्रिस्थानों की चाहर–दिवारी के निर्माण हेतु।		1000.00	124	163	595-Kabristan	595-Kabristan	वित्तीय वर्ष
केन्द्रपोषित योजनाऐं								
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पूर्व नाम MSDP 90:10 CSS)	केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहा पर 50 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत् है ऐसे क्षेत्रों में इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कराया जाता है।	20.00	2700.00	83	100	60-Project	60-Project	
अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति	7.00		2830	3892	3646- Students	3646-	

धनराशि रू. लाख में

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले (धनराशि लाख रू.में)		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शिक्षा एव व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृति (100%CSS)	व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।						Students	
अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृति (100%CSS)	अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।	4.00		524	453	438- Students	438- Students	
अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृति (100%CSS)	अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाती है।	7.00		21268	26593	21874- Students	21874- Students	

धनराशि रू. लाख में

SDG संकेतांक	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6
राज्यपोषित योजनाऐं					
SDG-1			10 Madrasa	10 Madrasa	वित्तीय वर्ष
SDG-1	1	1	01-Unit	01-Unit	वित्तीय वर्ष
SDG-1	9865	15000	30,000 Students	30,000 Students	वित्तीय वर्ष
SDG-1	9	22	50 Beneficiaries	50 Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
SDG-1	1	1	01-Office	01-Office	वित्तीय वर्ष
SDG-1	0	58	100 Students	100 Students	वित्तीय वर्ष
SDG-1	12	30	50 Projects	50 Projects	वित्तीय वर्ष

धनराशि रू. लाख में

SDG संकेतांक	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6
SDG-1	4	4	04-District Office	04-District Office	वित्तीय वर्ष
SDG-1	589	1240	1488 Girls Students	1488 Girls Students	वित्तीय वर्ष
SDG-1	611	500	925 Beneficiaries	925 Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
SDG-1	1	1	01-Unit	01-Unit	वित्तीय वर्ष
SDG-1		20	454-Beneficiaries	454-Beneficiaries	वित्तीय वर्ष
SDG-10	57	77	20-Project	20-Project	वित्तीय वर्ष
SDG-10	124	163	595-Kabristan	595-Kabristan	वित्तीय वर्ष

धनराशि रू. लाख में

SDG संकेतांक	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6
केन्द्रपोषित योजनाऐं					
SDG-10	83	100	60-Project	60-Project	
SDG-1	2830	3892	3646-Students	3646-Students	
SDG-1	524	453	438- Students	438-Students	
SDG-1	21268	26593	21874-Students	21874-Students	

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020–21

विभाग का नाम– उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी. नं. 9.5
(Innovation Communication, Infrastructure and Industries)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देष्य	आउट ले/बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजी गत					
2	डिजिटल डेटाबेस क्रिएशन	• उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल सर्विसेज पोर्टल का अपडेशन। • राज्य में जनपद/ब्लॉकवार सूचनाओं का विभिन्न स्केलों पर जी.आई.एस. डेटाबेस का सृजन एवं प्रकाशन।	05.00		• उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल सर्विसेज पोर्टल सृजन (www.http://ukgis.u-sac.in/). • गवर्नर हाउस एवं यूसैक द्वारा संयुक्त रूप से 'सोशियो–इकोनोमिक एटलस ऑफ उत्तराखण्ड' एटलस सृजन।	• 'उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल एटलस' का सृजन। • वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न वैज्ञानिक कार्ययोजनाओं में किये गये कार्यों का संकलन कर रिपोर्ट तथा लार्ज साइज मानचित्र का सृजन।	• नवीनतम सूचनाओं के साथ समय–समय पोर्टल पर अपडेट करना। • विभागीय कार्यों की समेकित रिपोर्ट तैयार करना। • राज्य के रेखीय विभागों एवं उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न एप्लीकेशन में कार्य करना।	• नवीनतम सूचनाएं पोर्टल में अपडेट करना। • विभागीय कार्यों की समेकित रिपोर्ट तैयार करना। • राज्य के रेखीय विभागों एवं उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न एप्लिकेशन विकसित करना।	1 वर्ष
3	लैण्ड यूज एण्ड रुरल/अर्बन प्लानिंग	• हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा से राज्य के प्रमुख शहरों/नगरों यथा– हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, रूड़की, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी की लार्ज स्केल मैपिंग करना तथा उपलब्ध भू–रिकार्डो तथा मल्टी–टेम्पोरल, उपग्रह आंकड़ों की मदद से	01.00		• राज्य के छः जनपदों का 1:10,000 स्केल पर लैण्ड यूज/लैण्ड कवर जी.आई.एस. डेटाबेस सृजन। • लैण्ड यूज/लैण्ड कवर एटलस ऑफ उत्तराखण्ड का सृजन।	• हरिद्वार कुम्भ मेला क्षेत्र के समस्त सैक्टरों में जीपीएस आधारित फील्ड सर्वेक्षण कर सूचनाओं का एकत्रीकरण। • सैटेलाइट डेटा इंटरप्रिटेशन तथा फील्ड	• हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा से राज्य के प्रमुख शहरों/नगरों की लार्ज स्केल मैपिंग करना तथा उपलब्ध भू–रिकार्डो तथा मल्टी–टेम्पोरल, उपग्रह आंकड़ों की मदद से शहरी क्षेत्रों में हो रहे	• हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से हरिद्वार जनपद का 1:2000 स्केल पर विस्तृत मानचित्रीकरण। • समस्त आधारभूत संरचनाओं एवं	1 वर्ष

		शहरी क्षेत्रों में हो रहे विस्तार का मानचित्र तैयार कर अर्बन इंफोर्मेशन सिस्टम तैयार करना।			• लार्ज साइज लैण्ड यूज/लैण्ड कवर मैप्स सृजन।	आंकडों के एकीकरण से कुम्भ मेला क्षेत्र, हरिद्वार का जियोस्पाशियल डेटाबेस सृजन।	विस्तार का मानचित्र तैयार कर अर्बन इंफोर्मेशन सिस्टम तैयार करना।	मौलिक सुविधाओं संबंधी सूचनाओं का जी.पी.एस. आधारित विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण। • जियोस्पाशियल डेटाबेस सृजन। • मोबाइल ऐप, वेब पेज तथा रिपोर्ट तैयार करना।	
4	वाटर रिर्सोस मैनेजमेन्ट	• उत्तराखण्ड राज्य के अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, धौलीगंगा, गौरीगंगा बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय आकड़ों (AWiFS) की सहायता से अध्ययन एवं किन्हीं दो बेसिन का फील्ड सर्वे का कार्य कर रिपोर्ट का सृजन करना।	01.50		• राज्य के विभिन्न पांच जनपदों के महाविद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन। • 'एन एटलस ऑफ वाटर एण्ड स्नो कवर स्टडीज ऑफ उत्तराखण्ड यूजिंग रिमोट सेंसिंग' एटलस का सृजन।	• फील्ड सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाएगा। • डेटाबेस क्रिएशन का कार्य कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।	• उत्तराखण्ड राज्य के अलकनंदा बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का अध्ययन व फील्ड सर्वे कर रिपोर्ट का सृजन। • नैनीताल जनपद की प्री एवं पोस्ट मानसून वाटर क्वालिटी मैपिंग करना।	• अलकनंदा बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय आकड़ों की सहायता से अध्ययन। • नैनीताल जनपद की प्री एवं पोस्ट मानसून वाटर क्वालिटी मैपिंग करना।	1 वर्ष
5	वानिकी– पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन (अ)	• नियर रियल टाइम मॉनिट्रिंग ऑफ़ फॉरेस्ट फायर, हैजार्ड ज़ोनेसन मैपिंग, बर्न्ट एरिया मैपिंग एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन करना। • वन प्रकार की सूची, कार्बन	01.50		• राज्य के विभिन्न जनपदों में वन घनत्व, बायोमास, इकोसिस्टम सर्विसेज, औषधीय पादपों संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण कर जी.आई.एस.	• फील्ड सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। • डेटाबेस क्रिएशन का कार्य कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।	• नियर रियल टाइम मॉनिट्रिंग ऑफ़ फॉरेस्ट फायर, बर्न्ट एरिया मैपिंग एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन। • वन प्रकार की सूची, बायोमास,	• राज्य के विभिन्न दावाग्नि वाले जनपदों के लिए किया जाएगा। • राज्य के जनपदों में वन प्रकार, बायोमास, कार्बन स्टॉक,	1 वर्ष

		स्टॉक, एनटीएफपी (गैर लकड़ी के वन उत्पाद), और जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण की निरंतर निगरानी एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन और मानचित्रण करना। • आक्रामक प्रजातियों की संभावित क्षेत्रों की पहचान जियोस्पासियल तकनीकी एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन कर मानचित्रण करना।			डेटाबेस सृजन। • 'जियोस्पाशियल टैक्नीक्स फॉर फॉरेस्ट इकोलॉजी एण्ड क्लाइमेट चेंज सैक्टर इन उत्तराखण्ड' का प्रकाशन।		कार्बन स्टॉक, एनटीएफपी (गैर लकड़ी के वन उत्पाद), और जैव विविधता की निरंतर निगरानी एवं ग्राउंड सर्वे द्वारा वेलिडेशन और मानचित्रण।	इकोसिस्टम सर्विसेज, औषधीय पादपों, एनटीएफपी (गैर लकड़ी के वन उत्पाद), और जैव विविधता संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण कर विश्लेषण कार्य करना।	
	(ब)	• उत्तराखण्ड में स्थित प्राकृतिक स्थलों/देव स्थलों की जैव विविधता/प्राकृतिक तंत्र सेवाओं का आंकलन। • उत्तराखण्ड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) का भू–स्थानिक वानस्पतिक जैव विविधता अध्ययन करना।	01.00		• अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों के 40 से अधिक पवित्र प्राकृतिक स्थलों का सर्वे। • जनपद पिथौरागढ़ में स्थित 9 गुफाओं का सर्वे।	• फील्ड सर्वेक्षण कार्य सम्पादित। • डेटाबेस क्रिएशन का कार्य कर रिपोर्ट तैयार करना।	• उत्तराखण्ड में स्थित प्राकृतिक स्थलों/देव स्थलों की जैवविविधता/प्राकृतिक तंत्र सेवाओं का आंकलन। • प्राकृतिक स्थलों में स्थित जैवविविधता की स्थिति का आंकलन।	• राज्य के विभिन्न जनपदों के पवित्र प्राकृतिक स्थलों का सर्वे कर उपलब्ध जैव विविधता (पादप प्रजातियों, औषधीय पादपों, संकट ग्रस्त प्रजातियों), जल स्रोतों एवं मानवजनित दबाव से सम्बन्धित सूचनाओं को संग्रहित करना।	
6	एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टीकल्चर	• स्पेस बेस्ड असेस्मेंट ऑफ पोटेंशियली इकोनोमिक हॉर्टीकल्चर ऐंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन उत्तराखण्ड	1.00		• कटाई से पूर्व रबी, खरीफ तथा जायद फसलों के क्षेत्रफल तथा	राज्य के नैनीताल जनपद में फील्ड सर्वेक्षण कार्य। मौसम विभाग से तापमान व वर्षा के	• चयनित जिले के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से फसल और गैर–फसल कृषि भूमि की	• सेंटीनल 1–सार डेटा के उपयोग से चयनित जिले के लिए फसल और गैर–फसल	1 वर्ष

		○ उत्तराखण्ड के तीन जिलो में जियोस्पेशियल तकनीक द्वारा समशीतोष्ण फ्रूट क्रॉप के पोटेंशियल जोन्स का साइट सुटेबिलिटी असेस्मेंट करना।			उत्पादन का आंकलन। • 'रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एण्ड जी. आई.एस. बेस्ड एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टीकल्चर' रिपोर्ट का सृजन।	आंकड़ों का प्रापण।	वास्तविक बुआई का आंकलन।	कृषि भूमि की पहचान तथा वास्तविक बुआई क्षेत्र का आंकलन।	
7	आपदा प्रबन्धन	• विज्ञान उत्तरजीविता (Science of Survival) के तहत प्रदेश के विभिन विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को मल्टीमीडिया के माध्यम से आपदा प्रबन्धन की विस्तृत जानकारी प्रदान करना।	1.00		• 'आपदा प्रबंधन में अन्तरिक्ष प्रौद्य ोगिकी की भूमिका' विषयक 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।	• 'आपदा प्रबंधन में अन्तरिक्ष प्रौद्य ोगिकी की भूमिका' विषयक 1 कार्यशाला का आयोजन किया गया।			1 वर्ष
8	स्पाशियल एण्ड आई. टी. पॉलिसी डिवीजन						• राज्य के प्रमुख शहरों/नगरों के लिए बेव जी. आई.एस. आधारित शहर/नगर सूचना तंत्र तैयार करना (श्रीनगर गढ़वाल)।	• आगामी वित्तीय वर्ष में श्रीनगर नगर के लिए जी.आई.एस. आधारित सिटी सूचना तंत्र तैयार किया जाएगा।	1 वर्ष
9	पुस्तकालय	• ऑनलाइन एण्ड ऑफलाइन वैज्ञानिक, शोध जर्नल्स हेतु सब्सक्रिप्शंस। • विषय विशिष्ट पुस्तकों का क्रय। • अन्य पुस्तकालय	5.50		• केन्द्र की लाईब्रेरी हेतु विषय–विशिष्ट पुस्तकों तथा पुस्तकालय संसाधनों का क्रय।	• विषय–विशिष्ट पुस्तकों एवं शोध जर्नल्सों का क्रय किया जाएगा।	• ऑनलाइन एण्ड ऑफलाइन वैज्ञानिक, शोध जर्नल्स हेतु सब्सक्रिप्शंस। • विषय विशिष्ट पुस्तकों तथा	• विषय–विशिष्ट पुस्तकों एवं शोध ा जर्नल्सों का क्रय किया जाएगा।	1 वर्ष

		संसाधन।					पुस्तकालय संसाधनों का क्रय। •		
10	इन–हाउस – आर एण्ड डी, कैपिसिटी बिल्डिंग	• वैज्ञानिकों/ शोधार्थियों का विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों (राष्ट्रीय/राजकीय स्तर) में प्रतिभाग द्वारा क्षमता विकास।	0.50		• विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण।	• केंद्र के एक दो वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया गया।	• वैज्ञानिकों/ शोधार्थियों का विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग।	• वैज्ञानिकों/ शोधार्थियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों में प्रतिभाग किया जाएगा।	1 वर्ष
11	राष्ट्रीय स्पेस मीट –उत्तराखण्ड	• केन्द्र द्वारा किए गए कार्यो को राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों, राजकीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाना। • विभिन्न रेखीय विभागों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित करना।	10.00			• यूसैक के नवनिर्मित भवन 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष भवन' का लोकार्पण एवं जियोइंफोमेर्टिक्स मीट–2020 का आयोजन किया गया।	• केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों को राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों, राजकीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाना। • विभिन्न रेखीय विभागों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित करना।	• केन्द्र द्वारा किए गए कार्यो को राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों, राजकीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाया जाएगा।	1 वर्ष
12	सेमिनार, वर्कशॉप एवं संगोष्ठी इत्यादि	• कार्यशालाओं , संगोष्ठियों, सेमिनारों एवं व्याख्यानों का आयोजन। • सुदूर संवेदन एवं जी आई एस प्रणाली पर आधारित विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण	2.50		• कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	• 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	• कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सेमिनारों एवं व्याख्यानों का आयोजन। • सुदूर संवेदन एवं	• विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों/ वैज्ञानिकों/ अभियन्ताओं, को कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के	1 वर्ष

		व्याख्यानों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं/सेमिनार में सहभागिता/ सहयोग प्रदान करना।					जीआईएस प्रणाली पर अधारित विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता/ सहयोग प्रदान करना।	जरिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान की जाएगी।	
13	हार्डवेयर इत्यादि का प्रापण	• वर्कस्टेशन – 4.50 लाख • डिस्प्ले सिस्टम – 3.00 लाख • यू.पी.एस – 5.00 लाख • जी.पी.एस घड़ी – 0.50 लाख	13.00				• वर्कस्टेशन • कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर • हाई एण्ड कम्प्यूटिंग सिस्टम • फर्नीचर/ फिक्चर्स		1 वर्ष
14	प्रशासन एवं निर्देशन	• इस मद में आवर्तक व्ययों यथा– वेतन भत्ते, भवन किराया, ट्रांसपोर्ट, यात्रा भत्ता, ऑफिस अपकीप एवं मेंटीनेंस आदि व्ययों के वहन हेतु।	263.65				• केन्द्र के समस्त आवर्तक व्ययों व्ययों के वहन हेतु।		
15	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र भवन एवं परिसर निर्माण	• भवन निर्माण की अनुमोदित राशि रु. 494.95 लाख में से केन्द्र को अब तक रु. 214.00 लाख अवमुक्त हो चुके हैं तथा रु. 100.00 लाख वर्ष 2018–19 में अवमुक्त होने शेष हैं। शेष राशि रू. 181.00 लाख अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यदायी संस्था को भुगतान किया	180.45				• निर्माण का कार्य पूर्ण। अन्य आधारभूत सुविधाओं एवं संरचना व्ययों के वहन हेतु।		

		जाना है।							
16	**कुल**		**487.60**						

`ष

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020–21

विभाग का नाम–उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी–7

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4 2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	राज्य योजना	उत्तराखण्ड राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा एवं 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु	—	3000.02	(1). 58 न0 नये 66 एवं 33/11 के0वी0 उपसंस्थानों में से 40 पूर्ण एवं 18 न0 कार्य प्रगति पर । (2) अतिरिक्त परिवर्तकों को लगाने का कार्य 100% पूर्ण । (3) हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्य हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति की अवस्था में ।	(1). 58 न0 नये 66 एवं 33/11 के0वी0 उपसंस्थानों में से 48 पूर्ण कर लिये जायेंगें । – (2) 30% कार्य पूर्ण हो जाएगा।	(1). नये उपसंस्थानों के निर्माण से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी – (2) सड़कों से विद्युत पोल एवं तारें हट जायेगी । विद्युत चोरी बन्द होगी ।	(1). उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घण्टें निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना । (2)ए0टी0एण्ड0सी0 हानियों को 15% से कम आयेगा ।	2020–21 2020–21

विभाग का नाम–उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

सत्त विकास लक्ष्यों हेतु प्रारुप

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	SDG संकेतक	1–4 2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
	SDG –7				(1) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घण्टें निर्बाध एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
1	विद्युतीकृत घरों का प्रतिशत	100 %	100 %	100 %	
2.	विद्युतीकृत वसावटों का प्रतिशत	98.56 %	100 %	100 %	(2) ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को 15% से कम लाना ।
3.	प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत	1283 KWH	1325 KWH	1350 KWH	
4.	कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश	26.60 %	27.50 %	28.98 %	
5.	नवीकरणीय ऊर्जा हेतु स्थापित क्षमता/कुल ऊर्जा में नवीकरणी ऊर्जा का अंश	19.14 %	22 %	24 %	
6.	सर्वोदय स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या	1924 न0	—	—	
7.	उत्पादित सौर ऊर्जा का प्रतिशत	5.29 %	5.15 %	6.09 %	

गत वर्ष की परफॉमेन्स की समीक्षा :–

योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के विवरण । (वर्ष 2019–20)

(रु0 लाख में)

राज्य का नाम	उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		आउटपुट		आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि (Achievement)	आउटकम		आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि (Achievement)
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
राज्य सेक्टर (आर0ई0सी0 पोषित योजना हेतु निवेश)	उत्तराखण्ड राज्य के सम्मानित विद्युत उभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति करने हेतु **AT&C** हानियों को कम करने एव0 उ0पा0का0लि 0के राजस्व वृद्धि हेतु लाईनों/उपसं स्थानों का निर्माण तथा अन्य कार्य ।	–	3700	–	उत्तराखण्ड राज्य के गॉवों का शतप्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है तथा 78.57% तोको का विद्युतीकरण हो चुका है । 43 पोषकों के सापेक्ष 27 कृषि व आकृषि पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।	आर0ई0सी वित पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।	–	विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा एवं वोल्टेज में सुधार के साथ गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी ।	कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपब्धि प्राप्त होनी अपेक्षित है ।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 04.....

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31.03.2020 की सम्भावित तिथि (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–2021	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	अनुदान संख्या–11 वेतनादि मद–05 विश्वविद्यालय कार्मिकों को वेतन एवं भत्ते का भुगतान	शिक्षणेत्तर एवं शैक्षिक पदों हेतु पर वेतनादि मद–05 अनुदान संख्या–11 में कुल 208 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान	वेतनादि मद–05 में 440 लाख	– –	200	208	1– शिक्षणेत्तर एवं शैक्षिक पदों हेतु पर वेतनादि मद–05 अनुदान संख्या–11 में कुल 208 कार्मिकों के वेतन हेतु आवश्यकता है। 2– बजट की उपलब्धता स्वरूप विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्तियां की जा सकेगी।	1.विश्वविद्यालय को शासन द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जिसमें विश्वविद्यालय को मानव संसाधन की अत्यधिक आवश्यकता होगी। 2. इसी क्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिगम प्रदान करने का उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य पूर्ण होगा। 3. गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने के लिए क्रिया कलापों के माध्यम से मानव संसाधन के ज्ञान को उद्यतन किया जायेगा। 4. डिजीटल टैक्नोलॉजी का उच्च शिक्षण कार्य में प्रयोग किये जाने का प्रशिक्षण व कुशलता हासिल होगी। 5. वर्चुअल माध्यम से शिक्षण कार्य करने की दक्षता हेतु प्रशिक्षण व ज्ञान में अभिवृद्धि। 6. अकादमिक सत्र 2020–2021 में शिक्षकों द्वारा अनुमानित 75 हजार युवाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।	01 वर्ष
02	अनुदान संख्या–11	कार्यालयी व्ययों	मानक		55937	788382	1– कार्यालयी व्ययों आदि हेतु	विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं छात्र–	01 वर्ष

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31.03.2020 की सम्भावित तिथि (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–2021	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सहायता अनुदान सामान्य गैर वेतन–56	आदि हेतु विश्वविद्याल के कार्य सुचारू ढंग चल सकेगें।	मद–56 में 100 लाख	–––			विश्वविद्याल के कार्य सुचारू ढंग चल सकेगें। 2– छात्रों का अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होगीं।	छात्राओं को आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।	
03	अनुदान संख्या–11 मानक मद–55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हिमालयन संग्रहालय एवं शोध केन्द्र की स्थापना।	हिमालय अध्ययन सम्बन्धी नवोदित पाठयक्रम यथा प्रमाणपत्र, व डिप्लोमा पाठयक्रम आरम्भ किये जायेंगे। इससे लगभग 500 छात्रों को लाभ होगा। उत्तराखण्ड संस्कृति का प्रचार होगा।	–––	मानक मद–55 में 400 लाख	00	01	1. हिमालयी अध्ययन सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये केन्द्र की स्थापना । 2. हिमालय की सांस्कृतिक जैव विविधता (Bio-Cultural Diversity) तथा परम्परागत ज्ञान (Traditional Knowledge) का संरक्षण, संवर्धन एवं अभिलेखन। 3–प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों की समझ विकसित कर सामाजिक सशस्त्रीकरण । 4. हिमालयी संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण के प्रति नागरिकों को संवेदनशील बनाना। 5.,हिमालय अध्ययन सम्बन्धी नवोदित पाठयक्रम यथा प्रमाणपत्र, व डिप्लोमा पाठयक्रम आरम्भ किये जायेंगे। 6. इससे लगभग 500 छात्रों को	1– हिमालयी अध्ययन सम्बन्धी पाठ्क्रम का निमार्ण। 2. लगभग 1000 युवाओं को हिमालयी अध्ययन में शिक्षित करना। 3. कार्ययोजना के क्रियान्वयन के उपरान्त प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार व्यक्तियों को हिमालय के परम्परागत ज्ञान से परिचित कराना। 4. उत्तराखण्ड हिमालय सम्बन्धी सामाजिक सांस्कृति ज्ञान का डिजिटल नालेज बैंक स्थापित होगा। 5. यह रिपोजिटरी शिक्षा प्रणाली के लिये शिक्षण सामग्री विकसित करने का आधार होगी।	05 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31.03.2020 की सम्भावित तिथि (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–2021	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							लाभ होगा।		
04	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह का निर्माण	विश्वविद्यालय के अपना अतिथि गृह होने से विश्वविद्यालय का अपना एक ढांचा होगा। विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 से 12बी की मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में मानक पूरे होंगे।	–		00	01	1– विश्वविद्यालय के अपना अतिथि गृह होने से विश्वविद्यालय का अपना एक ढांचा होगा। 2– विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 से 12बी की मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में मानक पूरे होंगे। 3– विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के कार्य हेतु आने वाले परीक्षकों/संगोष्ठी में आने वाले आगंतुको को ठहराने हेतु अतिथि गृह का निर्माण। 4– छात्रों/आंगतुकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। 5– गेस्ट हाउस के निर्माण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार से 12–बी के तहत अधिक से अधिक ग्रान्ट प्राप्त करना ।	1– विश्वविद्यालय का अपना अतिथि गृह होने से विश्वविद्यालय के सेमिनार, व्याख्यान, मीटिंग, कांफ्रेस आदि के लिए आए आंगतुकों को एक स्थान पर ठहरने में सुविधा होगी। 2– विश्वविद्यालय को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। 3– इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 से 12बी की मान्यता प्राप्त होने में सहायक सिद्ध होगा।	02 वर्ष
05	आवासीय भवनों का निर्माण	विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों का निर्माण का उद्देश्य कार्मिकों को आवास उपलब्ध	–––		00	74	विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों का निर्माण का उद्देश्य कार्मिकों को आवास उपलब्ध कराना है। मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में मानक की पूर्ति	1–विश्वविद्यालय के अपने आवासीय भवन होने से विश्वविद्यालय कार्मिकों को विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही आवास उपलब्ध हो सकेंगे। 2– विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 से	05 वर्ष

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31.03.2020 की सम्भावित तिथि (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–2021	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कराना है।					होगी। 1. मा0 कुलपति जी के आवास का निर्माण 2. कुलसचिव जी के आवास का निमार्ण। 3. वित्त नियंत्रक हेतु । 3. सहायक कुलसचिव के आवास का निर्माण। 4. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कामिकों हेतु लगभग 70 आवासीय भवनों का निमार्ण	12बी की मान्यता के मानक भी पूरे हो सकेंगे।	
06	पुस्तकालय भवन का निर्माण	विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन का निर्माण छात्रों को पाठ्यसामग्री एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही प्राप्त हो सकेंगी।	———		00	01	विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन का निर्माण छात्रों को पाठ्यसामग्री एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही प्राप्त हो सकेंगी। 1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लगभग 01 लाख बच्चों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करना । 2. विभिन्न ज्ञान वर्धक पुस्तकों के माध्यम से छात्रों के मानसिक विकास करना। 3. छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के	1– विश्वविद्यालय का अपना पुस्तकालय होने से छात्रों, अध्यापकों को कई प्रकार की पाठय्य सामग्री सें संबंधित एवं अन्य ज्ञानबर्धक पुस्तकें प्राप्त होगीं। विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 से 12बी की मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में मानक की पूर्ति होगी। 2. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्रों के लिये पुस्तकों की पहुंच आसान हो जायेगी।	05 वर्ष

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31.03.2020 की सम्भावित तिथि (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–2021	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							माध्यम से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। 4 .ई0 लाईबेरी का विकास।		
07	01 क्षेत्रीय कार्यायल की स्थापना	विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों का निर्माण छात्रों को पाठ्यसामग्री एवं अन्य अधिगम संबंधी सुविधायें प्रदान करना।	———		00	08	विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों का निर्माण छात्रों को पाठ्यसामग्री एवं अन्य अधिगम संबंधी सुविधायें प्रदान करना। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड है। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर विश्वविद्यालय के द्वारा स्टडी सेन्टरों को आउटसोर्स किया गया है। जिसमें लगभग 5000 छात्र/छात्राऐं को सहायता प्रदान की जाती है। इसके निम्न गोल है। 1. प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर स्टडी सेन्टर का निर्माण। 2. काउसलिंग कक्ष। 3. प्रयोगशालाऐं। 4.आडियो विडियो लैब। परीक्षा केन्द्र का निर्माण	1– प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के जिला मुख्यालयों में अध्ययन केन्द्र में छात्रों सुज्जित काउंसलिंग कक्ष, प्रयोगशालायें, एवं अत्याधुनिक ऑडियों वीडियों लैब की स्थापना से छात्रों को लाभ होगा।	05 वर्ष
08	आई0टी0 अकादमी की स्थापना	विश्वविद्यालय में आई0 टी0 अकादमी का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन।	———		00	01	शासन द्वारा आई.टी. अकादमी की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा .चुकी है। मात्र बजट आवंटन होना है। विश्वविद्यालय में आई0 टी0 अकादमी का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाना	1– विश्व विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का गुणवत्तापरक पाठ्यक्रम का विकास होगा 2– ज्ञानकोश, गूगल हेंगआउट आदि से छात्रों को लाभ मिलेगा। 3– भवन क्षमताऐं सुधरेंगी। 4– अनुकूलित शैक्षिक एप्स एवं पोर्टल	05 वर्ष

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति	31.03.2020 की सम्भावित तिथि (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–2021	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							है। 1– छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। 2– भवन का निमार्ण, 10 कक्ष। 3– विडियों रिकार्डिग कक्ष । कार्यशालाओं हेतु कक्ष। 4– विभिन्न कोर्स का विकास। 5– कन्टेन्ट कोर्स का निर्माण। 6– मोबाईल एप का निमार्ण	का विकास होगा।	

आउटकम 2020-21/ परफॉरमेंस बजट 2019-20

विभाग का नामः

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट)

सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0: 9.5 एवं 17.5

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**योजना का उद्देश्य**	**आउटकम ले/बजट 2020-21**		**1.4.2019 की स्थिति (2018-19 भौतिक स्थिति)**	**31.3.2020 की संभावित स्थिति (2019-20 भौतिक)**	**परिकल्पित (Projected) आउटपुट वर्ष 2020-21**	**परिकल्पित (Projected) आउटकम 2020-21**	**समय सीमा**
			राजस्व	**पूंजीगत**					
1	शोध अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन (राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस, USSTC)	➢ राज्य की प्रमुख समस्याओं के विज्ञान सम्मत समाधान के लिए उपयुक्त शोध एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना तथा वित्तपोषण करना।	---	190	नई R&D परियोजनाऐं स्वीकृत - 16 PRG/ PEG की बैठक आयोजित - 02 रनिंग R&D प्रोजेक्ट्स - 51	नई R&D परियोजनाऐं स्वीकृत - 21 PRG/ PEG की बैठक आयोजित - 01	नई R&D परियोजनाऐं स्वीकृत - 25	राज्य में वैज्ञानिक शोध एवं विकास तथा नवाचार का माहौल तैयार होगा और राज्य की समस्याओं पर केंद्रित ज्ञान एवं तकनीकी में बढ़ोत्तरी होगी।	वित्तीय वर्ष 2020-21
		➢ राज्य के शोधकर्ताओं को उनके शोध एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता लाने में सहायता के उदेश्य से USSTC के आयोजन से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और विषय विशेषज्ञों, शैक्षणिक हस्तियों तथा नीति निर्माताओं के साथ वार्तालाप	---		13वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस (13 वीं USSTC), और 26 वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस (26 वीं SCSC) आयोजित।	14वीं USSTC तथा 27वीं SCSC आयोजित। “उत्तराखंड एसएंडटी एक्सीलेंस अवार्ड” -2019:	15वीं USSTC), तथा 28वीं SCSC का आयोजन	राज्य के युवा वैज्ञानिक एवं शोधकर्ताओं को उपयुक्त मंच प्राप्त होगा तथापि शोध एवं विकास में उत्कृष्ता प्राप्त होगी।	वित्तीय वर्ष 2020-21

		करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करना। ➢ राज्य स्तरीय पुरस्कार			कुल 17 विषयों में प्रस्तुत 483 शोधपत्रों में से 46 शोधकर्ताओं को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए चुना गया, जिसमें एक इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी शामिल है। "उत्तराखंड एसएंडटी एक्सीलेंस अवार्ड" - 2019: डॉ दलीप कुमार उप्रेती, सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ और प्रोफेसर प्रीति गंगोला जोशी, एनआईएमएचएनएस, बैंगलोर। NASI उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षक पुरस्कार- 2018: डॉ ममता, एलटी विज्ञान शिक्षक, इंटर कॉलेज उत्तरौड़ा, कपकोट, जिला- बागेश्वर।	आई0आई0टी0 रूड़की के भूगर्भशास्त्री प्रोफेसर हर्षा सिन्हवाल, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सूक्ष्मजीव विज्ञानी प्रोफेसर दिनेश कुमार माहेश्वरी तथा जी0बी0 पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के निदेशक डॉ रणवीर सिंह रावल NASI उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षक पुरस्कार- 2019: श्री राम आसरे सिंह चौहान, बीएसआर राजकीय इंटर कॉलेज,बड़कोट, उत्तरकाशी।			

2	विज्ञान लोकव्यापीकरण एवं साइंस सिटी	➢ विज्ञान लोकव्यापीकरण के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मलेन आदि तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलनों में यात्रा के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना।	---	160	वित्त-पोषित कार्यक्रमों की कुल संख्या – 49 वित्त-पोषित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान– 24 परिषद् द्वारा आयोजित कुल कार्यक्रमों की संख्या– 17 RSC द्वारा आयोजित इवेंट्स की कुल संख्या– 13	वित्त-पोषित कार्यक्रमों की कुल संख्या – 56 वित्त-पोषित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान– 10	प्रस्तावित कार्यक्रमों की संख्या – 65 प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान की संख्या – 20 प्रस्तावित साइंस डेमोंस्ट्रेशन लेक्चर्स (SDL) - 38000 छात्रों के लिए	वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा तथा वैज्ञानिक सोच को आमजन में विकसित करने के लिए माहौल निर्मित होगा।	वित्तीय वर्ष 2020-21
		➢ विज्ञान केंद्रों एवं साइंस सिटी की स्थापना तथा उनका सफल सञ्चालन।	---	1000	26 एकड़ भूमि पर कुल 173 करोड़ रुपये की लागत वाले साइंस सिटी देहरादून के प्रस्ताव को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसके लिए शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया जा चुका है।	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में डेलिगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड (DIB) की फरवरी 2020 में मीटिंग के पश्चात अब साइंस सिटी देहरादून का विकास निकट भविष्य में आरम्भ हो सकता है।	साइंस सिटी देहरादून का विकास अतिशीघ्र आरम्भ करना उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा के विकास को पूर्ण करवाना क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र (RSC) का सफलतापूर्वक सञ्चालन जिसमें	आमजन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, विज्ञान लोकव्यापीकरण तथा विज्ञान के मनोरंजक पहलू को जनमानस के लिए संस्थान विकसित होंगे जो साथ ही विद्यालयी शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के लिए एक पूरक संस्था का भी कार्य करेंगे।	वित्तीय वर्ष 2020-21

					उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा विकास गतिमान है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र (RSC) देहरादून विज्ञान धाम परिसर में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जिसमें 2018-19 में 51738 विज़िटर्स द्वारा भ्रमण किया गया है। RSC में ग्लोबल वार्मिंग पर थ्रीडी विज्ञान फिल्म शो और तारामंडल शो में प्रतिभाग - 31,642 दर्शक RSC में थ्रीडी फिल्म शो के बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा थ्रीडी फिल्म का विज्ञान विषयों पर 323 स्कूल समूहों के कुल 22,361 छात्रों के लिए वर्षभर	उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा विकास गतिमान है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र (RSC) 2019-20 में 52495 विज़िटर्स द्वारा भ्रमण विज्ञान फिल्म शो - 39,988 दर्शक तारामंडल शो - 38,319 दर्शक साइंस डेमोंस्ट्रेशन लेक्चर्स (SDL) - 435 स्कूल्स के कुल 32508 छात्रों के लिए	दर्शकों की संख्या 75000 से अधिक करना		

					चलने वाले लोकप्रिय व्याख्यानों का आयोजन साइंस डेमोंस्ट्रेशन लेक्चर्स (SDL) का आयोजन – 323 स्कूल्स के कुल 22,361 छात्रों के लिए समर/ साइंस केम्प का आयोजन– 05	समर/ साइंस केम्प का आयोजन– 04			
3	S&T आधारित उद्यमिता विकास (EDP)/ अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं व कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रम	➢ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं आदि के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना।	---	74	EDP के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम - 04	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम - 07	प्रस्तावित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम - 10	विज्ञान एवं तकनीकी आधारित कौशल व उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक माहौल तैयार होगा।	वित्तीय वर्ष 2020-21
4	हिमालयन सिस्टम साइंस	➢ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन / जैव विविधता संरक्षण/ ग्लेशियोलॉजी और झीलों के संरक्षण आदि के लिए कार्यक्रम आयोजन।	---	64.4	विज्ञान धाम परिसर के 7,450 वर्गमीटर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क विकसित किया गया जिसमें 200 से अधिक	जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण एवं सतत विकास संसथान के	विषयान्तर्गत प्रस्तावित रचनात्मक कार्यक्रम - 5	हिमालय पारिस्थितिकी एवं व्याप्त समस्यों पर चिंतन तथा उपयुक्त निदान के लिए कार्यक्रम	वित्तीय वर्ष 2020-21

					प्रजातियों के पौधों को लगाया गया है। आईएमआई के साथ हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन। एसडीएफयू और आईएमआई के साथ जलवायु परिवर्तन पर राउंड-टेबल मीट का आयोजन।	साथ परिषद् ने 14वीं USSTC के दौरान प्राकृतिक संसाधनों और विशेषकर जैवविविधता पर अद्यतन हुए शोध निष्कर्षों को संकलित कर उनको धरातल पर उतारने के लिए विषय विशेषज्ञों के बीच एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन "हिमालयन नॉलेज नेटवर्क" आयोजित।		आयोजित किये जा सकेंगे।	
5	बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) केंद्र	➢ नोवलिटी सर्च के साथ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आदि के पंजीकरण के लिए शोधार्थियों व इनोवेटर्स की सहायता तथा आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम का प्रदेशभर में आयोजन करना।	---	12	पेटेंट रजिस्ट्रेशन - 06 कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन - 02 आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम - 11	पेटेंट रजिस्ट्रेशन - 13 कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन - 03 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन - 06 आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम – 08	प्रस्तावित आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम - 20	बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर जागरूकता बढ़ेगी जो युवाओं को नवाचार एवं तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहित करेगा।	वित्तीय वर्ष 2020-21

						पॉपुलर लेक्चर–12			
6	तकनीकि संसाधन केंद्र (TRC) स्थापना/ प्रौद्योगिकी प्रबंधन	➢ उन्नत तकनीकि से युक्त संसाधन केंद्रों की स्थापना कर उद्यमिता विकास के लिए विज्ञान को एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करना तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन के लिए कार्य करना।	---	9.60	राज्य के 8 जिलों में पहले से स्थापित 8 टीआरसी के बाद 9वां टीआरसी रुद्रप्रयाग के हुड्डू में स्थापित किया गया।	नए टीआरसी स्थापित करने को लेकर प्रक्रिया गतिमान है।	नए टीआरसी की स्थापना	स्थापित केंद्रों द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी आधारित कौशल व उद्यमिता विकास के लिए का युवाओं व महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।	वित्तीय वर्ष 2020-21

बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं	
7	1. प्रिपरेशन ऑफ़ रिसोर्स एटलस फॉर हिमालयन स्टेट ऑफ़ उत्तराखंड (NMHS-MoEF&CC, GoI) 2. सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑन फारेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इन उत्तराखंड (MoEF&CC, GoI) 3. पं0 दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना (SEED-DST, GoI) 4. एन्हान्सिंग लाइवलीहुड ऑफ़ हिमालयन कम्युनिटीज थ्रू एक्शन रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्मिंग वाइल्ड प्रोडूसेस इनटू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स (NMHS-MoEF&CC, GoI) 5. स्पाशिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर (NRDMS-DST, GoI) 6. मॉडलिंग फॉर एन्हान्सिंग वाटर क्वालिटी इन उत्तराखंड यूसिंग जिओस्पाशिअल टेक्नोलॉजी (DST, GoI) 7. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस (WQM&S) प्रोग्राम (World Bank) 8. पेटेंट इनफार्मेशन सेंटर (DST, GoI)

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) हेतु प्रारूपः

SDG 9.5: Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sector in all countries in particular developing countries, including by 2030, encouraging innovation & substantially increasing the number of R&D workers per 1million people and public & private R&D spending.

क्र.सं.	SDG 9.5 संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (2018-19 भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की संभावित स्थिति (2019-20 भौतिक)	परिकल्पित (Projected) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (Projected) आउटकम 2020-21
1	No. of researchers supported by S&T	16	13	20	शोध एवं अनुसन्धान के लिए वित्तपोषित परियोजनाओं में वित्तपोषित मानवशक्ति (जेआरएफ, प्रोजेक्ट फेलो आदि)
2	No. of research & innovations taken up by S&T	16	21	25	शोध एवं अनुसन्धान के लिए वित्तपोषित परियोजनाएं
3	No. of tinkering & incubation centers	01	01	02	आरएससी देहरादून में स्थापित इनोवेशन हब
4	No. of IPFC at innovation labs	08	08	10	कॉलेज/यूनिवर्सिटीज में स्थापित IPR सेल
5	No. of science centers in the state	02	02	03	ऑपरेशनल रीजनल साइंस सेंटर देहरादून तथा निर्माणाधीन सब-रीजनल साइंस सेंटर अल्मोड़ा
6	R&D persons in S&T dept.	51	123	----	परिषद् में कार्यरत अधिकारी, संविदाकर्मी तथा वाह्य सहायित परियोजनाओं के शोधार्थी
7	No. of patents IPR issued against filed	9	13	20	आईपीआर सेंटर द्वारा शोधार्थिओं के पेटेंट फाइल करने में सहायता
8	No. of persons covered in seminar/training/ workshops	5660	8500	10000	वित्तपोषित ट्रेनिंग्स/वर्कशॉप्स में प्रतिभाग किये लाभार्थी
9	% share of expenditure in R&D of total GDP	0.002	0.002	0.005	-----

SDG 17.5: Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to development countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed.

क्र.सं.	SDG 9.5 संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (2018-19 भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की संभावित स्थिति (2019-20 भौतिक)	परिकल्पित (Projected) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (Projected) आउटकम 2020-21
1	No. of eco-friendly and resource efficient technologies promoted by S&T Dept.	25	13	20	वित्तपोषित शोध एवं विकास परियोजनाएं तथा अन्य तकनीकियां
2	No. of Common Facilitation Centres promoted by S&T Dept.	17	17	19	TRC, IPR सेल एवं अन्य रिसोर्स सेंटर

आउटकम 2020–21 /परफॉरमेन्स 19–20

राज्य सेक्टर

विभाग का नामः उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 –09 Target 9-5

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4 2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	**राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा का प्रसार** **Technology Enabled Science Education in the State** **a) उत्तराखण्ड ज्ञान–विज्ञान कोष पोर्टल हेतु (www.ukb.org.in)** **b) प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कार्यक्रम** **c) विज्ञान शिक्षा हेतु इलेक्ट्रानिक पाठ्य सामग्री को विकसित करना**	राज्य के समस्त जिलो एवं विशेष रूप से दुर्गम पहाड़ी स्थानों में तकनीकी के द्वारा विज्ञान एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रतिष्ठित विद्वानों एवं विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों को प्रसारित कर एवं विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों, शोधाथियों, अध्यापकों हेतु विभिन्न विषयों पर जानकारी, ज्ञान व विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों एवं आम जनमानस इन्नोवेटिव विचारों को आमन्त्रित कर प्रदेश के नवाचारी एवं प्रतिभाशाली छात्रों को मार्गदर्शन एवं सुविधायें प्रदान करना तथा विभिन्न छात्रों को इंटरनशिप की सुविधा प्रदान करना। उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु विज्ञान सम्बन्धी e-content को विकासित कर राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रसारित किया जायेगा। इस हेतु विषय विशेषज्ञों को	32.00		17–कार्यक्रम 13– कार्यक्रम (670 छात्र) 05 कार्यक्रम 35 व्याख्यानों की रिकार्डिंग (1000 छात्र)	कुल लाभार्थी– 2635 विधालयों की संख्या– 51 जिलों की संख्या– 06 कार्यक्रमों की संख्या–20 प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला के आयोजन हेतु सहयोग प्रदान – 08 सब्स्क्राइबर– 595 प्रसारण– 176	कुल कार्यक्रम–60	लाभन्वित विद्यालयों/ महाविद्यालयों की संख्या–60	01 वर्ष

		मानदेय (Honorarium), भत्ता इत्यादि दिया जायेगा।			17– कार्यक्रम				
	d) मेंटरशिप कार्यक्रम इनोवेटिव एण्ड क्रिएटिव टेलेन्ट मेन्टरिंग कार्यक्रम	उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को देश–विदेश के विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के सहयोग से मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान कराना एवं शोध शिक्षा को सशक्त बनाना। उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद से प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन कर उनके भविष्य निर्धारण हेतु मेंटरशिप कार्यक्रम के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना।			18–कार्यक्रम (660 छात्र)				
	e) डिजिटल वॉलेण्टिरों को तैयार करना तथा डेटा साइंस, FOSS, GIS आधारित विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों एवं सम्बन्धित विषयों पर विद्यार्थियों की क्षमता निर्माण के संचालन हेतु	प्रदेश में सरकार द्वारा चलायी गयी विभिन्न लाभकारी योजनाओं को विद्यार्थियों ,समुदायों, ग्रामीण तक पहुंचाने के लिये डिजिटल वॉलेण्टियर प्रोग्राम प्रारम्भ किया जा रहा है।			02–कार्यक्रम				
2	**पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम**		15.00		02–कार्यक्रम	कुल लाभार्थी– 5550 विधालयों की संख्या– 70 जिलों की संख्या – 13 कार्यक्रमों की संख्या– 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला के आयोजन हेतु सहयोग प्रदान – 07 प्रकाशन – 01 विवरणिका	कुल कार्यक्रम–75	लाभार्थी छात्र–6000 पर्यावरणीय शिक्षा तथा पर्यावरण सवंर्द्धन को बड़ावा देने का उद्देश्य	01 वर्ष
	a) स्मार्ट ईको क्लब का संचालन	पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से स्मार्ट ईको क्लब							
	b) जूनियर ईको टास्क फोर्स का संचालन एवं ईको वॉलेण्टियर	जूनियर ईको टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन। एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदेश में युवाओं को स्वेच्छा से जन–जागरण हेतु एवं पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों हेतु ईको वॉलेण्टियर के रूप में जोड़ना।							
	c) पारिस्थितिकीय सेवाओं (Ecosystem Services)	अधिकारियों, शोद्यार्थियों एवं ग्रामीण समुदायों को Ecosystem Services पर्यावरण एवं							

	पर्यावरण एवं जैवविविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन	जैवविविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन के बारे में जागरूक करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।							
3	**आउटरीच कार्यक्रम (Outreach Programme)** a) "Science of Survival" कार्यक्रम (SOS) कार्यक्रम	उत्तराखण्ड में विशेष रूप से दुरूह भौगोलिक क्षेत्र के विद्यालयों में प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा के उपाय एवं जीवन रक्षा के लिये विषय विशेषज्ञो की मदद से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	43.00		30– कार्यक्रम	कुल कार्यक्रम–55 कुल लाभार्थी –10,895 कुल विद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय– 58 कुल जिले– 12	कुल कार्यक्रम–60	लाभार्थी छात्र/जनमानस–1500 विद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय– 60 कुल जिले– 13	01 वर्ष
	b) 'यूसर्क लेक्चर सीरीज' कार्यक्रम	लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिको एवं विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यानों का आयोजन कर विद्यार्थियों एव युवा वैज्ञानिकों में ज्ञानवर्धन एवं क्षमता वृद्धि करना।							
	c) राज्य के विकासोन्मुखी विषयों पर विचारमंथन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु	राज्य के विकासोन्मुखी विषयों, आवश्यकताओं, नीतियों के निर्धारण हेतु विचार मंथन सत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।							
	d) राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों का आयोजन	राज्य में विज्ञान की शिक्षा के प्रति जागरूकता, संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार हेतु समस्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों का आयोजन करना।							
	e) पर्वतीय राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन	प्रदेश के ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीणों मध्य लोगो को जल गुणवत्ता व इसके स्वास्थ्य प्रभाव के साथ–साथ प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता प्रदान करना।			02–कार्यक्रम				
	f) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन एवं उपयोग हेतु	उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों– सौरऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा,							

	कार्यशालाओं का आयोजन करना h) मंदाकिनी की आवाज एवं हैलो हल्द्वानी कम्यूनिटी साइंस रेडियों के माध्यम से विज्ञान एवं शिक्षा का प्रचार	बायोमास आदि के उपयोग एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन करना। स्थानीय निवासियों, विधार्थियों एवं किसानों हेतु वैज्ञानिक कृषि एवं राज्य के उन्नयन हेतु विषयों की जानकारी उपलब्ध कराना।							
4	**विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन**	राज्य के विकास हेतु एवं राज्य हित में आधारित विषयों पर विभिन्न पुस्तकों, मैनुएल, प्रशिक्षण सामग्री एवं पोस्टरों का प्रकाशन करना। विज्ञान को सरल स्वरूप में आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु यूसर्क द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित छमाही हिन्दी पत्रिका विज्ञान क्षितिज का प्रकाशन।	5.00			02	पुस्तकें–03		01 वर्ष
5	**शोध एवं विकास (R&D) गतिविधियों हेतु**	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर अग्रणी शोध को बढ़ावा देना व राज्य परक शोध के विषय की पहचान करना। विभिन्न विज्ञान विषयों में शोधार्थियों/विद्यार्थियों द्वारा internship के माध्यम से शोध।	25.00		02	कार्यक्रम –05	कार्यक्रम–08	लाभार्थी –200	01 वर्ष
6	**प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ीकरण एवं संचालन** a) यूसर्क परिसर में बेसिक साइंस हेतु बहुउपयोगी प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन b) उत्तराखण्ड के प्राकृतिक जल स्रोतो की **वाटर क्वालिटी अध्ययन हेतु** Water Quality Laboratory का संचालन	• राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विधार्थियों को प्रयोगात्मक ज्ञान करने के लिये बेसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हेतु। • राज्य के शोद्यार्थियों को प्रारम्भिक शोध की सुविधा प्रदान करना। • विद्यार्थियों को प्रयोगाात्मक ज्ञान से अवगत कराना। (विभिन्न विज्ञान विषयों– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी उपकरणो का क्रय किया जाना) उत्तराखण्ड के नदी जल, भूजल, सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोत जैसे की झरने, झील, तालाब, नौलों इत्यादि की जल गुणवत्ता के स्तर का	20.00		01	01	01 विज्ञान प्रयोगशाला एवं जलशाला का सुदृढ़ीकरण	लाभार्थी –1000	01 वर्ष

		निर्धारण किया जा सकेगा। अभी वर्तमान में यूसर्क में Water Quality Laboratory की स्थापना के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों को स्थापित किया गया है तथा अभी कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भारत सरकार के विभिन्न जल से जुड़े विभागों से प्रोजैक्टों को संचालित करने में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।							
7	**अध्यापक/विज्ञान कॉनकेलव/कान्फ्रेंस का आयोजन**	उत्तराखण्ड के समस्त विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उन्मुख शिक्षकों को विचारों के आदान प्रदान एवं विज्ञान में हो रहे विकासों से अवगत करवाने हेतु अध्यापक विज्ञान कान्कलेव का आयोजन करना।	7.00		01–कार्यक्रम		कार्यक्रम–01	लाभार्थी–100	01 वर्ष
8	**महिला वैज्ञानिक कॉनक्लेव/उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम हेतु**	महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का आयोजन। राज्य में विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहन एवं बढावा देने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित करना।	6.00		01–कार्यक्रम		कार्यक्रम–01		01 वर्ष
9	**उत्तराखण्ड के जलस्रोतों (नदियों, धारे, नौले, स्प्रिंगस आदि) का पुर्नजीवीकरण व शोध एवं जागरुकता कार्यक्रम**	उत्तराखण्ड के जलस्रोतों की (विभिन्न विलुप्ति के कगार पर खड़ी नदियों यथा– रिस्पना, कोसी, बिंदाल आदि तथा धारे, नौले, स्प्रिंगस आदि) के पुर्नजीवीकरण हेतु वैज्ञानिक शोध एवं जागरूकता।	25.00		04– कार्यक्रम	कुल लाभार्थी – 754 विधालयों की संख्या– 19 जिलों की संख्या– 06 कार्यक्रमों की संख्या–10 प्रकाशन– प्रशिक्षण मैनुअल	कार्यक्रम–10	कुल लाभार्थी–500 विधालयों की संख्या– 10 जिलों की संख्या– 06	01 वर्ष
10	**यूसर्क द्वारा स्थापित केन्द्रों के संचालन हेतु** a) उत्तराखण्ड स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैथेमेटिकल साइंसेज	• विद्यार्थियों में गणित विषय पर रूचि एवं बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थियों को रोचक विधियों से व्याख्यानों, शिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं का आयोजन करना, ओलम्पियाड जैसे कार्यक्रमों के आयोजन	60.00		05–कार्यक्रम	केन्द्रों का संचालन–08	केन्द्रों का संचालन–08		01 वर्ष

		द्वारा गणित में प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन एवं अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन							
	b) उत्तराखण्ड क्लाईमेट चेन्ज	• जलवायु परिवर्तन एवं शिक्षा पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनारों एवं विचार मंथन सत्रों का आयोजन करना, राज्य में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित घटनाओं का विषद् अध्ययन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना।							
	c) सेंटर फार वैदिक इनफोरमेटिक्स	वेदों पर शोध एवं अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन।							
	d) आउटरीच सेंटर गंगोलीहाट, पिथौरागढ	सीमान्त क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्थापित आउटरीच सेंटर के कार्यक्रमों हेतु।							
	e) प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा केन्द्र, हल्द्वानी	राज्य के हल्द्वानी क्षेत्र हेतु केन्द्र की स्थापना							
	f) प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा केन्द्र, श्रीनगर	राज्य के श्रीनगर क्षेत्र हेतु केन्द्र की स्थापना							
	g) विज्ञान संचार केन्द्र, पिथौरागढ़	राज्य के सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में केन्द्र की स्थापना हेतु							
	h) विज्ञान केन्द्र खटिमा, ऊधमसिंहनगर	राज्य के जनजातिय तथा ग्रामीण क्षेत्र (जिला ऊधमसिंहनगर) में विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु केन्द्र की स्थापना							

11	**उत्तराखण्ड ज्ञान विज्ञान अभियान एवं उत्तराखण्ड में सशक्त विज्ञान कॉरिडोर की स्थापना करना**	इस अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के ग्रामीण विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञान/गणित यात्राओं का आयोजन किया जायेगा जिससे की छात्र–छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि को बढाया जा सकें। • माणा से मुनस्यारी तथा आराकोट से असकोट तक विज्ञान कोरिडोर की स्थापना करना। • यूसर्क का उद्देश्य ब्लॉक व ग्राम स्तर पर Science Volunteer तैयार करने हेतु वर्तमान युग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में Science Volunteer का नेटवर्क स्थापित करना जो कि कार्यक्रमों व परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रभावी सिद्ध हो पायेगा।	10.00		12–कार्यक्रम	कुल लाभार्थी– 3044 विधालयों की संख्या–10 जिलों की संख्या– 5 कार्यक्रमों की संख्या–10 प्रकाशन– विवरणिका	कार्यक्रम– 15	राज्य के दुर्गम/पर्वतीय विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का प्रसार	01 वर्ष
12	**यूसर्क के अंतर्गत दिव्यांग केन्द्र (centre for people with special needs) के संचालन हेतु**	केन्द्र के द्वारा विशेष शिक्षा एवं दिव्यांग क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चिन्हित कर उनके मध्य समन्वय स्थापित कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दिव्यांगों के समावेशी विकास हेतु निम्न कार्य किये जायेगेः– 1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा दिव्यांगजनों के समावेशी विकास, जागरुकता सृजन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन। 2. विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों अभिभावकों व विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराना।	15.00		18–कार्यक्रम	विद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय– 25 जिलों की संख्या– 01 कार्यक्रमों की संख्या–12 प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला के आयोजन हेतु सहयोग प्रदान – 07 प्रकाशन– 01 विवरणिका	कार्यक्रम–18	विद्यालय – 18	01 वर्ष
			263.00						
	निदेशन एवं प्रशासन		**148.00**						
	कुल योग (चार करोड़ ग्यारह लाख मात्र)		**411.00**						

उद्यान विभाग

(सामान्य + अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति)

मुख्य एस0डी0जी0 – 02 भूखमरी समाप्त करना

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (रू0 लाख में)		01.04.19 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पिक (प्रोजैक्टेड) आउटपुट 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउट कम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग									
राज्य सैक्टर									
01	**0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/एपीडा आदि द्वारा वित्त पोषित योजना पर 20% राज्यांश**		50.00		प्रोजेक्ट–8	प्रोजेक्ट–10	प्रोजेक्ट–8	प्रोजेक्ट–8 (उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि में सहयोग) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–100	2020–21
02	**0113–बाजार हस्तक्षेप की योजना का कियान्वयन**	उद्यानपतियों से सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था	0.02						
	1–फलों का क्रय (सेव, माल्टा,नाशपाती, लीची, आदि)				यह योजना कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य योजना में सम्मिलित कर दी गयी है।	यह योजना कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य योजना में सम्मिलित कर दी गयी है।	यह योजना कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य योजना में सम्मिलित कर दी गयी है।	कृषकों के उत्पादो का उचित मूल्य दिलाने एवं आय में वृद्धि	2020–21
03	**0301–अधिष्ठान (मानव संसाधन विकास)**		14006.36		लगभग 3550 कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान	लगभग 3550 कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान	लगभग 3550 कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान	लगभग 3550 कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान	2020–21
	1–उद्यान सचल दल केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण				–	05 केन्द्र	05 केन्द्र	कृषकों को योजना का प्रभावी प्रचार–प्रसार एवं निवेशों को सुरक्षित करना	2020–21
	2–सेमीनार/टैक्नोलॉजी ट्रान्सफर				2	2	2	कृषकों में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार	2020–21
	3–एक्सटेन्सन वर्क मैटेरियल				20000 साहित्य	20000 साहित्य	20000 साहित्य		2020–21
	4–उद्यान कार्ड वितरण				8726 कृषक	2000 कृषक	10000 कृषक		2020–21
04	**0302–राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण**		157.55		राजभवन देहरादून एवं नैनीताल का अनुरक्षण	राजभवन देहरादून एवं नैनीताल का अनुरक्षण	राजभवन देहरादून एवं नैनीताल का अनुरक्षण	राजभवन देहरादून एवं नैनीताल में औद्यानिकी सौन्दर्यीकरण	2020–21
05	**0303–राजकीय उद्यानों का**		469.56	200.00					2020–21

	सुदृढ़ीकरण								
	1–फल पौध उत्पादन				4.64 लाख	10 लाख	10 लाख	गुणवत्तायुक्त पौधों के वितरण से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि	2020–21
	2–सब्जी बीज उत्पादन				265.11 कु0	500 कु0	500 कु0	उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि	
	3–आलू बीज उत्पादन				1382 कु0	2000 कु0	4000 कु0		
	4–सब्जी पौध उत्पादन				153 लाख	250 लाख	300 लाख		
06	**0304–सचिवालय परिसर का सौदर्यकरण**		56.65		सचिवालय का सौन्दर्यीकरण	सचिवालय का सौन्दर्यीकरण	सचिवालय का सौन्दर्यीकरण	सचिवालय का सौन्दर्यीकरण	2020–21
07	**0305–मुख्यमंत्री आवास के उद्यानों का अनुरक्षण**		32.55		मु0आ0 के उद्यानों का अनुरक्षण	मु0आ0 के उद्यानों का अनुरक्षण	मु0आ0 के उद्यानों का अनुरक्षण	मु0आ0 के उद्यानों का अनुरक्षण	2020–21
08	**0306–विधान भवन परिसर में औद्यानिक विकास**		23.45		विधान परिसर का सौन्दर्यीकरण	विधान परिसर का सौन्दर्यीकरण	विधान परिसर का सौन्दर्यीकरण	विधान परिसर का सौन्दर्यीकरण	2020–21
09	**0313–बागवानी विकास परिषद के विभिन्न देयकों का भुगतान**		0.16						2020–21
10	**10–मधुमक्खी पालन योजना**	1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बक्सों को रखा जाना। 2. मौन बाक्स मौन कालोनियों का वितरण। 3. मौनपालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण	72.70						2020–21
	1–मौनवंश/मौनगृह का वितरण				मौनवंश/मौनगृह–348	मौनवंश/मौनगृह–500	मौनवंश/मौनगृह–1000	स्वरोजगार एवं शहद उत्पादन कर आय वृद्धि करना	2020–21
	2–परागण हेतु मौनवंशों के यातायात पर राजसहायता				परागण हेतु मौनवंश–3100	परागण हेतु मौनवंश–3600	परागण हेतु मौनवंश–3000	फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि	2020–21
	3–प्रशिक्षण				प्रशिक्षणार्थी– 434	प्रशिक्षणार्थी–500	प्रशिक्षणार्थी–500	कृषकों को दक्ष कर स्वरोजगार में वृद्धि	2020–21
11	**13–मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना**	1. मशरुम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना 2. स्पान (बीज) वितरण 3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण	60.22						2020–21
	1–प्रशिक्षण				प्रशिक्षणार्थी– 1758	प्रशिक्षणार्थी–2000	प्रशिक्षणार्थी–2000	कृषकों को दक्ष कर स्वरोजगार में वृद्धि	2020–21
	2–पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट निर्माण				123.30 टन	200 टन	200 टन	मशरूम उत्पादन कर आय वृद्धि	2020–21
	3–स्पान का उत्पादन/वितरण				1945 किग्रा0	3000 किग्रा0	3000 किग्रा0		2020–21
12	**14–उद्यानों की घेरबाड़ की योजना**	जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राजसहायता।	266.00		114.60 है0	256 है0	400 है0	कृषकों के बागानों की जंगली जानवरों से सुरक्षा कर उत्पादन में वृद्धि करना	2020–21
13	**4401–फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय 04–रोगरहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों**		**0.00**	800.00	कृषकों की मॉग के अनुसार विभिन्न निवेशों का क्रय	कृषकों की मॉग के अनुसार विभिन्न निवेशों का क्रय	कृषकों की मॉग के अनुसार विभिन्न निवेशों का क्रय	औद्यानिक फसलों की सुरक्षा कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि	2020–21

	की लागत								
14	**(0316) मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना (पालीहाउस)**	पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना।	288.25		पॉलीहाउस– 34290 वर्ग मी	पॉलीहाउस–30000 वर्ग मी0	पॉलीहाउस–50000 वर्ग मी0	संरक्षित खेती कर कृषको की आय में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि	2020–21
15	**(0317) उद्यान बीमा योजना**	औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आड़ू, माल्टा,मौसम्बी, सन्तरा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन, मटर एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना।	3000.00		कृषकों के फसलों को मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु बीमा–54767 किसान	कृषकों के फसलों को मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु बीमा–63112 किसान	बीमित होने वाले कृषकों का लक्ष्य–65,000	कृषकों के फसलों को मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की भरपाई एवं कृषकों की आय वृद्धि।	2020–21
16	**(0318) राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना**	राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देना, चूंकि औद्यानिक उत्पाद शीघ्र खराब होने की प्रवृर्ति होती है। वर्तमान में लगभग 20–25 प्रतिशत तक खराब हो जाते हैं।	200.00		–	–	–	औद्यानिक उत्पादों के प्रसंकरण में वृद्धि करना तथा वर्ष 2022 तक प्रसंस्करण क्षमता 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–200	2020–21
17	**(0319) उत्तराखण्ड औद्यानिकी विपणन बोर्ड**		25.00		औद्यानिक उत्पादों के क्रय विक्रय में सहयोग एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान	औद्यानिक उत्पादों के क्रय विक्रय में सहयोग एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान	औद्यानिक उत्पादों के क्रय विक्रय में सहयोग एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान	औद्यानिक उत्पादों के क्रय विक्रय में सहयोग एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान	2020–21
18	**(0321) बागानों की जीर्णोद्वार की योजना**	पुराने एवं अनुत्पादक बागानों का जीर्णोद्धार कर उत्पादन वृद्धि करना।	0.01		बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित	बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित	बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित	पुराने बागानों का जीर्णोद्धार कर उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि	2020–21
19	**(0322) बोरवैल स्थापना की योजना**	सिंचाई सुविधा हेतु कृषकों को बोरवैल स्थापना हेतु सहायता।	25.50		बोरबैल–56	बोरबैल–35	–	सिंचित क्षमता का लगभग 15–20 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त विकास	2020–21
20	**(0324) पावर मशीन (ट्रैक्टर) की योजना**	खेतों की जुताई हेतु कृषकों को ट्रैक्टर हेतु सहायता	0.01		पावर मशीन– 69	पावर मशीन–80	–	मानव श्रम कम करना एवं धनराशि की बचत	2020–21
21	**(0323) पॉलीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना**	कृषकों के पॉच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण–शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता	100.00		पॉलीथीन– 20345 वर्ग मी	पॉलीथीन–50,000 वर्ग मी0	पॉलीथीन–50,000 वर्ग मी0	पॉलीथीन बदलाव पर उत्पादन एवं आय वृद्धि	2020–21
22	**(0325) पौधरोपण की योजना**	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों,	200.01		पौध वितरण– 2. 60 लाख	पौध वितरण–3 लाख	पौध वितरण–3 लाख	फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर	2022

		कृषकों आदि को निःशुल्क फलपौध वितरण						उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य	
23	**(21) मसाला की खेती की योजना में 25 प्रतिशत राज्यांश**	अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च आदि की खेती को बढ़ावा देना	0.01		-			उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि	2020–21
24	**(23) एन्टी हेलनेट की योजना में 25 प्रतिशत राज्यांश**	कृषकों/उद्यानपतियों की फसलों को ओलावृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट हेतु सहायता	150.00		-			फलों की ओलावृष्टि से सुरक्षा कर फलों के उत्पादन एवं आय में लगभग 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि	2020–21
25	**(0326) कृषि उद्यान उत्पाद सलाहकार समिति**		0.01		सलाहकार समिति के देयकों का भुगतान	सलाहकार समिति के देयकों का भुगतान	सलाहकार समिति के देयकों का भुगतान	सलाहकार समिति के देयकों का भुगतान	2020–21
26	**(0327) आपदा के कारण कृषकों को क्षतिपूर्ति की योजना**		0.01		–	–	–	–	
27	**(0328) उत्तराखण्ड मधुमक्खी परिषद**		31.62		परिषद के देयकों का भुगतान	परिषद के देयकों का भुगतान	परिषद के देयकों का भुगतान	परिषद के देयकों का भुगतान	2020–21
28	**(0329) उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन**	उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजसहायता।	86.50		सब्जी बीज वितरण – 1124.34 कु0	सब्जी बीज वितरण – 2000 कु0	सब्जी बीज वितरण – 2000 कु0	सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में लगभग 10 से 20 हजार रू0 वृद्धि **सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0 टन/है0 का वर्ष 2022 तक लक्ष्य**	2020–21
29	**(0330) फल पौधशालाओं की स्थापना**	राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नयी फल पौधशालाओं की स्थापना	70.00		पौधशाला–24	पौधशाला–10 पौंध उत्पादन–50 हजार प्रति पौंधशाला प्रति हैक्टेयर	पौधशाला–10 पौंध उत्पादन–50 हजार प्रति पौंधशाला प्रति हैक्टेयर	गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री का कृषकों में वितरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–100 क्षेत्रफल विस्तार–100 है0	तृतीय वर्ष से
30	**(0331) जैविक बागवानी की खेती योजना (पिथौरागढ एवं चमोली)**	जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना	7.60		क्षेत्रफल विस्तार – 50 है0 विभिन्न जैविक निवेशों का वितरण	क्षेत्रफल विस्तार – 100 है0 विभिन्न जैविक निवेशों का वितरण	क्षेत्रफल विस्तार – 100 है0 विभिन्न जैविक निवेशों का वितरण	जैविक खेती को बढ़ावा देकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन।	2020–21

31	**(0333) अखरोट एवं अन्य गिरिदार फलों (नट फ्रूटस) के सर्वांगीण विकास हेतु मिशन**	राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकननट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना	23.49		नर्सरी–8 क्षेत्रफल विस्तार–5 है0	नर्सरी–5 क्षेत्रफल विस्तार–20 है0	नर्सरी–10 क्षेत्रफल विस्तार–200 है0	गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री का कृषकों में वितरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–700	तृतीय वर्ष से
32	**उत्तर फसल प्रबन्धन**		200.03						
33	**08–सघन एवं पौध रोपण हेतु फल पौध सामग्री का आयात**	फल पौध रोपण सामग्री का आयात	30.00		–	–	फल पौध रोपण सामग्री का आयात– 2.00 लाख पौध (सेब व अखरोट)	मात्रवृक्षों की स्थापना कर गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री तैयार करना	तृतीय वर्ष से
34	**12– उत्तरांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संगोष्ठी**		6.12		गोष्ठी/ सेमिनार–1	गोष्ठी/सेमिनार–1	गोष्ठी/सेमिनार–1	जनजागरुकता कर औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देना प्रतिभागी–750	2020–21
35	**(0334) मृदा परीक्षण की योजना**	चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा सैंपल का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना तथा आवश्यक खाद, उर्वरकों की संस्तुति करना।	4.34		चौबटिया एवं श्रीनगर की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं मृदा परीक्षण	चौबटिया एवं श्रीनगर की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं मृदा परीक्षण	चौबटिया एवं श्रीनगर की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं मृदा परीक्षण	मिट्टी में मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार भूमि में पोषक तत्वों का उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि करना	दो वर्ष
36	**(29) रवांई घाटी फल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना**		0.18					कृषको एवं कार्मिको की दक्षता विकास हेतु	
37	**(30) चन्द्रनगर (रूद्रप्रयाग) में फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना**		2.59		फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना–1	फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना–1	फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना–1	स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण एवं उनके उत्पादों का प्रसंस्करण	2020–21
38	**(28) कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की योजना**		200.00		कृषि एवं उद्यान उत्पादों का क्रय विक्रय	कृषि एवं उद्यान उत्पादों का क्रय विक्रय	कृषि एवं उद्यान उत्पादों का क्रय विक्रय	कृषि एवं उद्यान उत्पादों का क्रय कर कृषकों को उचित मूल्य प्रदान कराना	2020–21
39	**(0336) जैविक खेती हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयो की स्थाापना**		157.50		वर्मी कम्पोस्ट–372 इकाई	वर्मी कम्पोस्ट–400 इकाई	वर्मी कम्पोस्ट–400 इकाई	जैविक खेती को बढ़ावा देकर कृषकों की आय वृद्धि करना	दो वर्ष
40	**(0335) मशाला, मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि की योजना (रु0 7 प्रति किग्रा0 की दर से)**	प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि देना	50.00		कृषकों की मशाला मिर्च के उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान करना – 546 कु0	कृषकों की मशाला मिर्च के उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान करना – 170 कु0	कृषकों की मशाला मिर्च के उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान करना – 200 कु0	मशाला मिर्च की खेती को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में वृद्धि करना	2020–21

41	**(31) उत्तराखण्ड में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मिशन एप्पल योजना**	प्रदेश में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। साथ ही क्लोनल रूट स्टॉक भी उपलब्ध कराया जायेगा।	150.00		उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन	उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन–5 इकाई	उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन–5 इकाई	सेब के उत्पादन एवं उत्पादक में वृद्धि लगभग 30 से 40 प्रतिशत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–200	तृतीय वर्ष से
42	**अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास**	1. व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार) 2. आलू उत्पादन हेतु आलू बीज एवं निवेश उपलब्ध कराना	33.57		अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में फलों का क्षेत्र विस्तार– 120 है0 आलू विकास–4 है0				
	1–औद्यानिक विकास					अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में फलों का क्षेत्र विस्तार– 25 है0	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में फलों का क्षेत्र विस्तार–50 है0	फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–1500	2022
	2–आलू विकास					आलू विकास–10 है0	आलू विकास–50 है0	उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–1500	2020–21
43	**सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास (अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु)**		32.25		सब्जी बीज वितरण–500 कुन्तल	सब्जी बीज वितरण–700 कुन्तल	सब्जी बीज वितरण–1000 कुन्तल	सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में लगभग 10 से 20 हजार रू0 वृद्धि सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0 टन/है0 का वर्ष 2022 तक लक्ष्य	2020–21
44	**मेगा फूड पार्क**		50.00		मेगा फूड पार्क में बिजली, टैक्स आदि पर अनुदान	मेगा फूड पार्क में बिजली, टैक्स आदि पर अनुदान	मेगा फूड पार्क में बिजली, टैक्स आदि पर अनुदान	प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना	2020–21
45	**जलवायु परिवर्तन हेतु औद्यानिक फसलों के विविधिकरण की योजना**	जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के संबंध में कृषकों एवं कार्मिकों को	20.00		जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के संबंध	जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के संबंध में कृषकों एवं कार्मिकों को	जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के संबंध में कृषकों एवं	जलवायु परिवर्तन के अनुसार औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देकर उत्पादन	2020–21

		जानकारी प्रदान करना			में कृषकों एवं कार्मिकों को जानकारी प्रदान करना	जानकारी प्रदान करना	कार्मिकों को जानकारी प्रदान करना	एवं उत्पादकता वृद्धि तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना	
46	**वर्मी कम्पोस्ट निर्माण योजना (25 प्रतिशत राज्यांश)**		**0.01**						
47	**नाबार्ड पोषित**	उत्तर फसल प्रबन्धन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास	500.00	500.00	उत्तर फसल प्रबन्धन हेतु अवस्थापना सुविधाओं एवं राजकीय उद्यानों में सिंचाई व्सस्था एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण	उत्तर फसल प्रबन्धन हेतु अवस्थापना सुविधाओं एवं राजकीय उद्यानों में सिंचाई व्सस्था एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण	उत्तर फसल प्रबन्धन हेतु अवस्थापना सुविधाओं एवं राजकीय उद्यानों में सिंचाई व्सस्था एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण	पैकिंग ग्रेडिंग कर उत्पादों की गुणवत्ता, भण्डारण क्षमता बढ़ाने तथा राजकीय उद्यानों में गुणवत्तायुक्त पौंध रोपण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना	2020–21
नई योजनाएँ									
48	एम0आई0एफ0 के अन्तर्गत लघु सिंचाई फण्ड		1600.00						
49	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना		1500.00						
	योग राज्य सैक्टर		**23939.80**	**1500.00**					
	केन्द्रीय योजनायें								
01	**0116–राष्ट्रीय बागवानी मिशन**	उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना के लिये राज सहायता उपलब्ध कराना।	4105.01		नर्सरी–13 30 हजार गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का प्रति पौधशाला उत्पादन सघन क्षेत्र विस्तार–252 है0 सामान्य क्षेत्र विस्तार–1630 है0 सब्जी क्षेत्र विस्तार–850 है0 मसाला क्षेफफल विस्तार– 850 है0 पुष्प क्षेत्रफल विस्तार–195 पुराने उद्यानों का जीर्णोद्वार–430 है0 मशरूम इकाई स्थापना–7 जल स्त्रोतों का सृजन – 175	नर्सरी–1	नर्सरी–14 30 हजार गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का प्रति पौधशाला उत्पादन सघन क्षेत्र विस्तार–135 है0 सामान्य क्षेत्र विस्तार–1125 है0 सब्जी क्षेत्र विस्तार– 1000 है0 मसाला क्षेफफल विस्तार– 850 है0 पुष्प क्षेत्रफल विस्तार–225 पुराने उद्यानों का जीर्णोद्वार–500 है0 मशरूम इकाई स्थापना–11 जल स्त्रोतों का सृजन – 275		
	1– नर्सरी स्थापना (निजी/व्यक्तिगत)							उत्पादकता वृद्धि का वर्ष 2022 तक का लक्ष्य 1–फलों की उत्पादकता–5.00 मै0टन/है0 सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0टन/है0 3– आलू की उत्पादकता–17.00 मै0टन/है0 4– मशालों की उत्पादकता–8.00 मै0टन/है0 5– फूलों का क्षेत्रफल–2000 है0 6–औद्यानिक उत्पादो की प्रसंस्करण क्षमता–15 : क्षेत्रफल विस्तार–3200 है0 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–160	तृतीय वर्ष से
	2– सघन क्षेत्र विस्तार	नये उद्यानों की स्थापना कर,				क्षेत्र विस्तार–172 है0		फलों के उत्पादन एवं	2020–21

		उत्पादन में वृद्वि करना।			पॉलीहाउस स्थापना – 1.45 लाख वर्गमीटर शैडनेट हाउस – 13330 वर्गमीटर एन्टी हेलनेट – 13.78 लाख वर्गमीटर प्लास्टिक मल्विंग – 208 है0 औद्यानिक यन्त्र वितरण – 228 मौन कॉलोनी/बॉक्स वितरण – 1984 तुडाई उपरान्त प्रबन्धन – 8 विपणन – 3 खाद्य प्रसंस्करण इकाई – 3 प्रशिक्षण–924		पॉलीहाउस स्थापना – 1.85 लाख वर्गमीटर शैडनेट हाउस – 20000 वर्गमीटर एन्टी हेलनेट – 6.00 लाख वर्गमीटर प्लास्टिक मल्विंग – 300 है0 औद्यानिक यन्त्र वितरण – 530 मौन कॉलोनी/बॉक्स वितरण – 8000 तुडाई उपरान्त प्रबन्धन – 135 विपणन – 63 खाद्य प्रसंस्करण इकाई – 2 प्रशिक्षण–4200	उत्पादकता में वृद्धि एवं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–7200	
	3– सामान्य क्षेत्र विस्तार					सामान्य क्षेत्र विस्तार–1169 है0			
	4– सब्जी क्षेत्र विस्तार					सब्जी क्षेत्र विस्तार–1400 है0		उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–4000	2020–21
	5– मशरूम उत्पादन इकाई	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्वि करना।				इकाई–5		मशरूम उत्पादन कर आय वृद्धि	2020–21
	8– पुष्प क्षेत्र विस्तार	पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्वि करना।				क्षेत्र विस्तार–200 है0		उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–2000	2020–21
	9– मशाला क्षेत्र विस्तार	मसाला उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्वि करना।				क्षेत्र विस्तार–810 है0		उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–3400	2020–21
	10–जीर्णोद्धार/पुर्न स्थापना	पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोद्वार उत्पादन में वृद्वि करना।				जीर्णोद्धार/पुन स्थापना–233 है0		उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि	तृतीय वर्ष से
	11– जल स्रोतो की स्थापना(टेंक/बोरबैल)	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवैल की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान करना।				टैक/बोरबैल–75		सिचिंत क्षेत्र में वृद्धि कर 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि	2020–21
	12– संरक्षित खेती	संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुश्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता प्रदान करना।				पॉलीहाउस– 1.06 लाख वर्ग मी0		संरक्षित खेती कर कृषको की आय में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि लाभार्थी–2000	2020–21
	13– शेड नैट हाउस	ट्यूबलर बनावट, प्रकोष्ठ संरचना एवं बॉक्स की संरचना पर राज सहायता प्रदान करना।				शेड नैट हाउस–24000 वर्ग मी0			
	14– एंटी हेलनेट/एंटी वर्डनेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु एन्टी हेल नेट पर राज सहायता उपलब्ध कराना।				एंटी हेलनेट/एंटी वर्डनेट–22.00 लाख वर्ग मी0			

	15– प्लास्टिक मल्चिंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकना				प्लास्टिक मल्चिंग–550 है0		नमी संरक्षण कर उत्पादन में 20 से 25 तक वृद्धि	2020–21
	16– मौनपालन के माध्यम से परापरागण हेतु सहयोग	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु मौनवंश व मौन कॉलोनी पर राज सहायता प्रदान करना।				मौनवंश/मौनगृह का वितरण–5000 सं0 मौनयंत्र का वितरण–25 सं0		250 व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं शहद उत्पादन कर आय वृद्धि करना एवं फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि	2020–21
	17–औद्यानिक यंत्र	विभिन्न औद्यानिक मशीनों/पॉवर टिलर/ट्रैक्टर/ औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि हेतु राज सहायता प्रदान करना।				यंत्र–222		उन्नत किस्म के औद्यानिक यन्त्रों का वितरण कर श्रम एवं धनराशि में बचत	2020–21
	18–मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण)	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम				प्रशिक्षण–3700		दक्षता विकास करना	2020–21
	19–समेकित उत्तर फसल प्रबन्धन इकाईयों की स्थापना (पैक हाउस, कोल्ड रूम,कोल्ड स्टोरेज, रेफिजरेटिड वाहन आदि)	तुडाई उपरान्त प्रबन्धन कार्यक्रम।				इकाई– 5		उत्पादों का पैकिंग एवं ग्रेडिंग भण्डारण कर उचित समय पर उचित मूल्य दिलाकर 30 से 40 प्रतिशत तक आय वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–700	2020–21
	20– विपणन हेतु अवस्थापना विकास	विपणन हेतु बाजारों का सृजन।				विपणन हेतु अवस्थापना सुविधायें–4 सं0			2020–21
	21– खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना।				इकाई–02 सं0		औद्यानिक उत्पादों के प्रसंकरण में वृद्धि करना तथा वर्ष 2022 तक 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन–20	2020–21
02	**0115– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop Crop component under)**	पौधों की आवश्यकतानुसार जल एवं खाद का वितरण उनकी जड़ों तक पहुचाते हुए कम समय में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाईं खरपतवार नियन्त्रण एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन	4134.68		1–ड्रिप /स्प्रिंकलर सिंचाई–6416 है0 लाभार्थी– 8285	1–ड्रिप /स्प्रिंकलर सिंचाई–7903 है0 लाभार्थी– 9964	1–ड्रिप /स्प्रिंकलर सिंचाई–8859 है0 लाभार्थी– 11169	1– विभिन्न औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक सिंचाई जल की 30 से 80 प्रतिशत तक बचत। 2–औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि 3–अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल आच्छादित से विभिन्न औद्यनिक फसलों में 15 से 80	2020–21

		एवं पैदावार में वृद्धि करना।						प्रतिशत तक वृद्धि 4–सब्जी तथा फल उत्पादन में वृद्धि से प्रति व्यक्ति सब्जी एवं फल की उपलब्धता में वृद्धि 5–बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजन के अवसर 6–श्रम की बचत।	
	योग केन्द्र पोषित		**8239.69**	**–**					
वाह्य सहायतित परियोजना									
1	विश्व बैंक सहायतित एकीकृत बागवानी विकास परियोजना	औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए पौंध रोपण सामग्री का उत्पादन, क्षेत्रफल विस्तार, संरक्षित खेती, यंत्रीकरण, उत्तर फसल प्रबन्धन, विपणन, प्रसंस्करण एवं चाय तथा औषधीय एवं सगन्ध पादपों का विकास कार्यक्रम सम्मिलित	500.00	500.00	भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त् कार्य किये जायेगें।	भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त् कार्य किये जायेगें।			
	योग वाह्य सहायतित		**500.00**	**500.00**					
जिला सेक्टर									
01	**फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना**	1. फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, किल्टे, पैकिंग हेतु बाक्स उपलब्ध कराना आदि। 2. फल व सब्जियों का प्रसंस्करण। 3. मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध कराना। 4. फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों	200.00 (प्रस्तावित)						
	1–फल सब्जी प्रसंस्करण				फल सब्जी प्रसंस्करण– 4904 कु0	फल सब्जी प्रसंस्करण–3000 कु0	फल सब्जी प्रसंस्करण–3000 कु0	प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना	2020–21
	2–फल संरक्षण में प्रशिक्षण				प्रशिक्षण– 5162 व्यक्ति	प्रशिक्षण–8000 व्यक्ति	प्रशिक्षण–8000 व्यक्ति	स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण–10000 व्यक्ति	2020–21
	3–फल संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण				–	–	–	प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना	तृतीय वर्ष से
	4–उत्तर फसल प्रबंधन पैकेजिंग सामग्री				पैकिंग बॉक्स–1. 13 लाख	पैकिंग बॉक्स–1.83 लाख	पैकिंग बॉक्स– 4.00 लाख	फलों की गुणवत्ता हेतु पैकेजिंग सामग्री में उचित मूल्य दिलाकर लगभग 20 से 25: आय वृद्धि	2020–21

		द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण।							
02	**उन्नत किस्म के रोपण सामग्री के उत्पादन/पौधालय विकास**	1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर राजसहायता 2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण 3. पौध सुरक्षा हेतु कीट व्याधिनाशक रसायनों का वितरण 4. कुरमुला कीट नियन्त्रण 5. औद्यानिक औजार वितरण 6. सिंचाई हेतु 3ग्2ग्1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण 7. फल पट्टी विकास	700.00 (प्रस्तावित)						
	1–फल पौध वितरण				फल पौध वितरण–15.52 लाख	फल पौध वितरण–20 लाख	फल पौध वितरण–20 लाख	फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य	2022
	2–सब्जी बीज वितरण				सब्जी बीज वितरण– 1124.34 कु0	सब्जी बीज वितरण–2000 कु0	सब्जी बीज वितरण–3500 कु0	सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में लगभग 10 से 20 हजार रू0 वृद्धि **सब्जियों की उत्पादकता–10.00 मै0 टन/है0 का वर्ष 2022 तक लक्ष्य**	2020–21
	3–आलू बीज वितरण				आलू बीज वितरण– 2693.21 कु0	आलू बीज वितरण–3000 कु0	आलू बीज वितरण–4000 कु0	उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि आलू की उत्पादकता–17 मै0टन प्रति है0 वर्ष 2022 तक	2020–21
	4–पौध सुरक्षा कार्य				पौध सुरक्षा कार्य– 21138 है0	पौध सुरक्षा कार्य–20000 है0	पौध सुरक्षा कार्य–20000 है0	पौधों की विभिन्न कीट व्याधियों से सुरक्षा कर उत्पादन में वृद्धि लाभार्थी–15000	2020–21
	6–औद्यानिक संयत्र वितरण				औद्यानिक संयत्र वितरण– 5939 सं0	औद्यानिक संयत्र वितरण–8000	औद्यानिक संयत्र वितरण–8000	उन्नत किस्म के औद्यानिक यन्त्रों का वितरण कर श्रम एवं धनराशि में बचत	2020–21
	7– मसाला बीज (अदरख, हल्दी, लहसुन आदि) वितरण				मशाला बीज–2834 कु0	मशाला बीज–4500 कु0	मशाला बीज–5000 कु0	उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि मशाला की उत्पादकता–8 मै0/है0 वर्ष 2022 तक लक्ष्य	2020–21
	9–चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण				प्रशिक्षण– 1286 सं0	प्रशिक्षण–2500 सं0	प्रशिक्षण–2500 सं0	दक्षता विकास	2020–21

03	**अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास**	1. उद्यान विकास–व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश वितरण 2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50.00 (प्रस्तावित)						
	1–औद्यानिक विकास				औद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार–50 है0	औद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार–30 है0	औद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार–50 है0 आलू विकास–30 है0	फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादकता 5 मै0टन प्रति है0 का 2022 तक लक्ष्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–1500	2022
	2–आलू विकास				आलू विकास–15 है0	आलू विकास–30 है0		उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार–1500	2020–21
	योग जिला सैक्टर		**950.00**						
	योग– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		**33629.50**	**2000.00**					
ब)	**उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड**								
राज्य सैक्टर									
1	राज्य में चाय विकास योजना		1946.50		बागान रखरखाव–1266 है0, नया पौध रोपण 120.10 है0, नर्सरी स्थापना– 50.51 लाख पौध व 0.74 लाख किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय आदि का कार्य किया जायेगा तथा कर्मियों का वेतन भत्ते आदि।	बागान रखरखाव–1471 है0, नया पौध रोपण 100 है0, नर्सरी स्थापना– 32.70 लाख पौध व 4.00 लाख किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय, चाय की बिक्री–90,000 किग्रा0	बागान रखरखाव–1400 है0, नया पौध रोपण 200 है0, नर्सरी स्थापना– 30.00 लाख पौध व 4.50 लाख किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय, चाय की बिक्री–1.05 लाख किग्रा0	बागान रखरखाव–1350 है0, नया पौध रोपण 210 है0, नर्सरी स्थापना– 35 लाख पौध व 1.09 लाख किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय आदि का कार्य किया जायेगा तथा कर्मियों का वेतन भत्ते आदि।	2020–21
	योग चाय विकास		**1946.50**						
स)	**हर्बल सैक्टर**								
	राज्य सैक्टर								
1	जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान		1175.02		20 कलस्टरों में विकास, 354.30 है0 में औषधीय पादपों का कृषिकरण, 27.00 लाख औषधीय पौध रोपण सामग्री व 252 किग्रा0 बीज का उत्पादन, 4.59 लाख पौध वितरण, 354	500 है0 में औषधीय पादपों का कृषिकरण, 30.00 लाख औषधीय पौध रोपण सामग्री व 200 किग्रा0 बीज का उत्पादन, 30.00 लाख पौध वितरण, 300 कृषकों का प्रशिक्षण, 1000 कृषकों का पंजीकरण, रोजगार सृजन– 12000	600 है0 में औषधीय पादपों का कृषिकरण, 30.00 लाख औषधीय पौध रोपण सामग्री व 250 किग्रा0 बीज का उत्पादन, 12.00 लाख पौध वितरण, 500 कृषकों का प्रशिक्षण, 1000 कृषकों का पंजीकरण, रोजगार	20 कलस्टरों में विकास, 600 है0 में औषधीय पादपों का कृषिकरण, 30.00 लाख औषधीय पौध रोपण सामग्री व 250 किग्रा0 बीज का उत्पादन, 12.00 लाख पौध वितरण, 1000 कृषकों का प्रशिक्षण, शोध एवं विकास हेतु 04 जड़ी–बूटी के नमूने एवं उनका परीक्षण।	2020–21

					कृषकों का प्रशिक्षण, रोजगार सृजन–14700 साथ ही 900 कृषकों का पंजीकरण किया गया।		सृजन– 22000	साथ ही 1000 कृषकों का पंजीकरण किया जायेगा।	
2	सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास (09 से स्थानान्तरित)		2300.00		कृषिकरण– 840 है0, कृषकों का प्रशिक्षण– 2000, 31.00 लाख पौध व 3.02 कु0 बीज का उत्पादन, 1085 मै0टन तेल तथा 66,144 टन एरोमेटिक हर्ब का आसवन,एवं 350 नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण किया गया तथा रोजगार सृजन–4198	कृषिकरण–900 है0, कृषकों का प्रशिक्षण–4000, 50.00 लाख पौध व 3.00 कु0 बीज का उत्पादन, 800.00 मै0टन तेल तथा 72,000 टन एरोमेटिक हर्ब का आसवन, 400 नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण एवं रोजगार सृजन–4000	कृषिकरण–1000 है0, कृषकों का प्रशिक्षण–4000, 50.00 लाख पौध व 3.00 कु0 बीज का उत्पादन, 800.00 मै0टन तेल तथा 70,000 टन एरोमेटिक हर्ब का आसवन, 400 नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण एवं रोजगार सृजन–5000	कृषिकरण–800 है0, कृषकों का प्रशिक्षण–2400, 50.00 लाख पौध व 3.00 कु0 बीज का उत्पादन, 800.00 मै0टन तेल तथा 60,000 टन एरोमेटिक हर्ब का आसवन,एवं 350 नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा	2020–21
3	जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान/औशधीय एवं सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास		150.00		कलस्टर विकास – 20	कलस्टर विकास – 20	कलस्टर विकास – 20	कलस्टर विकास – 20	2020–21
4	राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)		0.01						
	योग हर्बल सैक्टर		**3625.03**	**–**					
द)	**भेषज विकास**								
राज्य सैक्टर									
1	मानव संसाधन विकास की योजना	जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण व वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले जड़ी–बूटी के वैज्ञानिक विधि से विदोहन किये जाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि तकनीक का प्रचार–प्रसार,	11.00		जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण विस्तार के लिए निम्नानुसार कार्य किये गये– 1. कृषिकरण– 216.33 है0 2. रोपण सामग्री उत्पादन – 10	जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण विस्तार के लिए निम्नानुसार कार्य किये जायेगें– 1. कृषिकरण– 260 है0 2. रोपण सामग्री उत्पादन – 10 लाख संख्या 3. पंजीकृत कृषकों का प्रशिक्षण – 2500 4. भेषज भवन की	जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण विस्तार के लिए निम्नानुसार कार्य किये जायेगें– 1. कृषिकरण– 300 है0 2. रोपण सामग्री उत्पादन – 10 लाख संख्या 3. पंजीकृत कृषकों	जड़ी–बूटी प्रजातियों के कृषिकरण विस्तार के लिए निम्नानुसार कार्य सम्पादन प्रस्तावित– 1. कृषिकरण– 300 है0 2. रोपण सामग्री उत्पादन – 5.00 लाख संख्या 3. रवन्ना – 500 4. पंजीकृत कृषकों का प्रशिक्षण – 1500	2020–21

		कर्मचारियों की कौशल अभिवृद्धि, कृषक को एक ही छतरी के नीचे सभी सुविधाए प्रदान किये जाने हेतु भेषज भवनों का निर्माण व परम्परागत फसलों की कृषि से विरत जड़ी–बूटी प्रजातियों की लघु कृषि प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना का कार्य।			लाख संख्या 3. पंजीकृत कृषकों का प्रशिक्षण – 1750 4. भेषज भवन की स्थापना– 01 5. लाभार्थी – 2979	स्थापना– 01 5. लाभार्थी – 3700	का प्रशिक्षण – 2500 4. भेषज भवन की स्थापना– 01 5. लाभार्थी – 4000	5. जड़ी–बूटी संग्रहण– 10000 कु0 6. भेषज भवन की स्थापना– 01 7. कार्यशाला/सेमीनार –03	
2	भेषज विकास इकाई का ढॉचागत विकास की योजना		–						2020–21
3	भेषज कृषि विकास की योजना		45.00						2020–21
4	सहकारी जड़ी–बूटी योजना – 0309 अधिष्ठान	विभागीय कार्मिकों को वेतन आदि तथा कार्यलयों के संचालन के लिए व्यवस्था आदि व्यय का भुगतान	479.23		विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों को वेतन भत्ता आदि का भुगतान।	विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों को वेतन भत्ता आदि का भुगतान।	विभागीय कियाकलापों के सम्पादनार्थ कार्मिकों पर होने वाला व्यय की आरम्भिक स्थिति	विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों को वेतन भत्ता आदि का भुगतान।	2020–21
5.	राजकीय/भेषज संघों की नर्सरियों के विकास व सम्वर्द्धन की योजना	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन करना	10.00		पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–10 लाख	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–10 लाख	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–10 लाख	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन– 5 लाख	2020–21
	योग भेषज विकास		**545.23**						
जिला सैक्टर									
1	भेषज संघों को विभिन्न कायों हेतु अनुदान		65.00 (प्रस्तावित)		जड़ी बूटियों के ग्रेडिग एवं पैकिग का कार्य।	जड़ी बूटियों के ग्रेडिग एवं पैकिग का कार्य।	जड़ी बूटियों के ग्रेडिग एवं पैकिग का कार्य।	जड़ी बूटियों के ग्रेडिग एवं पैकिग का कार्य।	2020–21
2	औषधीय पौधों का उत्पादन		15.00 (प्रस्तावित)		पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–10 लाख	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–10 लाख	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–10 लाख	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन–17 लाख	2020–21
3	भेषज संघों की अवस्थापना विकास		10.00 (प्रस्तावित)		भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु।	भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु।	भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु।	भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु।	2020–21
	योग भेषज विकास		**90.00**						
रेशम									

1	07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास– 0701– अधिष्ठान	रेशम विभाग के कार्यक्रमों का समग्र विकास एवं प्रसार करना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1504.15	–			समस्त विभागीय कार्यक्रमों के सफल संचालन, प्रसार, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान. कोया उत्पादन लक्ष्य–310 मी0टन कीटपालक परिवार सं0–10000	राज्य के कृषक परिवारों को रेशम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार नर्सरीकर्ताओं, वृक्षारोपकों, धागाकारों तथा बुनकरों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सुलभ कराना।	2020–21
3	सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी	प्रदेश के रेशम सहकारी समितियों को रेशम विकास सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन में स्वावलम्बी एवं दक्ष बनाना.	22.00	–	सहकारी समिति–29	सहकारी समिति–30	30 रेशम सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को रेशम विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	प्रदेश की रेशम सहकारी समितियों को रेशमोत्पादन का कार्य में आत्मनिर्भर बनाना	2020–21
4	चॉकी भवनों का निर्माण व रिनोवेशन	रेशम कीटाण्डों के चॉकी कीटपालन हेतु विभागीय फार्मों पर नये भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों का जीर्णोद्वार, फैन्सिंग आदि की मरम्मत	35.50	–	9	10	वर्ष में 10 चॉकी भवनों व फैन्सिंग का अनुरक्षण व पुर्ननिर्माण का कार्य प्रस्तावित है।	राज्य में रेशमोद्योग की आधारभूत अवस्थापनाओं के विकास से आगामी वर्षों हेतु सुदृढ धरातल प्राप्त होगा।	2020–21
5	जैविक रेशम विकास योजना	कीटपालन कार्य के उपरान्त रेशम कीट अवशेषों, अप्रयुक्त पत्तियों तथा एफ0 वाई0एम0 के द्वारा जैविक खाद तैयार करना तथा रेशम फसलों का जैविक कृषिकरण	32.50	–	जैविक खाद 23 टन	जैविक खाद 25 टन	विभागीय उद्यानों में जैविक अवशिष्ठ के माध्यम से 28 टन जैविक खाद का उत्पादन, तथा उपयोग प्रस्तावित है	रेशम कृषकों को रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम करते हुए जैविक कृषिकरण को उत्प्रेरित करना एवं वृक्षारोपण कार्य कर शहतूती एवं वन्या रेशम उत्पादन हेतु पौध सम्पदा में वृद्धि करना	2020–21
6	शहतूत वृक्षारोपण योजना	योजना का उद्देश्य विभागीय चॉकी कीटपालन केन्द्रों के साथ–साथ कृषकों की निजी भूमि पर उन्नतशील शहतूत प्रजातियों का फुटकर वृक्षारोपण करते	22.50	–	वृक्षारोपण–75 हजार	वृक्षारोपण–1 लाख	कुल 1.5 लाख पौध रोपण जिसमें से विभागीय उद्यानों में 1.0 लाख उन्नतशील एवं उच्च उत्पादक शहतूत पौधों का प्रतिस्थापन एवं फुटकर वृक्षारोपण		2020–21

		हुये रेशम कीटपालन हेतु प्रचुर मात्रा में भोज्य पौध तैयार करना है					के रूप में निजी क्षेत्र में 0.50 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा		
7	रेशम वस्त्र विकास योजना	प्रदेश में रेशम वस्त्रों के उत्पादन हेतु नये बुनाई करघों की स्थापना, पुराने करघों का उच्चीकरण, कच्चे माल की उपलब्धता व बुनकरों का प्रशिक्षण	20.00	–	वस्त्रोत्पादन–19 हजार मी0	वस्त्रोत्पादन–41 हजार मी0	प्रदेश में 35 बुनकरों के माध्यम से 45 हजार मी0 रेषम वस्त्रो का उत्पादन का कार्य किया जाएगा.	राज्य में रेषम वस्त्र बुनाई गतिविधि को बल मिलेगा जिससे प्रदेश में उत्पादित रेषम धागे की स्थानीय खपत व रोजगार में वृद्धि होगी.	2020–21
8	रेशम प्रशिक्षण योजना	प्रदेश में कुशल मानव संसाधनों का विकास करना तथा लाभार्थियां को रेशम उद्योग की नवीनतम तकनीकियों की जानकारी उपलब्ध कराना	13.60	–	प्रशिक्षणार्थी–600	प्रशिक्षणार्थी–600	प्रदेश के 600 रेशम उद्यमियों, कृषकों, कीटपालकों, सह समितियों /स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों एवं महिलाओं को रेशम विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा	प्रदेश में कुशल मानव संसाधनों का विकास करना जिससे आगामी वर्षों में रेशमोद्योग सम्बन्धी कार्यों को निरन्तर गति प्राप्त होगी	2020–21
9	यू0सी0आर0एफ0 का सुदृढीकरण	रेशमोद्योग के कोसोत्तर विकास कार्यक्रमों जैसे–कोया बाजारों का संचालन, कोया मूल्य भुगतान, रेशम, रीलिंग, टिवस्टिंग, डाईंग, डिजायनिंग, विविंग तथा मार्केटिंग आदि गतिविधियों के संचालन हेतु सहकारी शीर्ष संस्था यू.सी.आर.एफ. को सुदृढ बनाना	25.00	–	कोया उत्पादन– 259.514 मै0टन	कोया उत्पादन – 288. 62 मै0टन	रेशम की समस्त कोसोत्तर गतिविधियों के विकास तथा रेषम रीलिंग, डाईंग, डिजायनिंग, वीविंग तथा मार्केटिंग आदि कार्यों हेतु फेडरेशन को सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 310 मै0टन कोया निस्तारण का लक्ष्य है	रेशमोद्योग के समस्त ऊर्ध्वगाामी कार्यों के समन्वय में प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा तथा प्रभावी विपणन व्यवस्था के कारण उत्पादन क्षेत्र को भी तत्काल लाभ मिलेगा	2020–21
10	केन्द्रपोषित सी0एस0एस0 योजना	भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पुनर्गठित CSS योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 व टी0एस0पी0 में नये रेशम क्लस्टर्स विकसित कर लाभार्थियों को निजी कीटपालन भवन निर्माण व टूलकिट्स आपूर्ति हेतु	126.19	–	वृक्षारोपण–140 कीटपालन उपकरण –340 कीटपालन कक्ष–331	वृक्षारोपण–100 कीटपालन उपकरण –100 कीटपालन कक्ष–100	सी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत सामान्य तथा अनु0जाति तथा ज0जाति क्षेत्रों में नये क्लस्टर्स विकसित करने हेतु भारत सरकार द्वारा सहायता उपलबध कराई जा रही है जिसके सापेक्ष राज्यांश धनराशि की व्यवस्था हेतु योजना	अ0जा0 तथा ज0जाति बाहुल्य क्षेत्रों में लाभार्थियों को रेशम उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास, वन्या एवं शहतूती रेशम उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन एवं पलायन रोकने में	2020–21

		सहायता उपलब्ध कराई जा रही है					संचालित है. योजनान्तर्गत 500 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा	सहायक	
11	रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायता	योजना का उद्देश्य प्रदेश के रेशम कीटपालकों को कीटाण्ड मूल्य भुगतान में सहायता उपलब्ध कराना है ताकि निर्बलवर्गीय कृषक अल्प मूल्य पर रेशम कीटाण्ड प्राप्त कर कीटपालन प्रारम्भ कर सके	47.00	–	19.03 लाख औंस	6.5 लाख औंस	राज्य के कीटपालकों को रेशम कीटाण्ड आपूर्ति में प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराते हुए मात्र रू0 1.0 प्रति डी0एफ0एल की दर से कीटाण्ड मूल्य लिया जाता है. शेष कीटाण्ड मूल्य योजना में वहन किया जाता है। वर्ष 2020–21 में 6.9 लाख डी0एफ0एल्स रेशम कीटाण्ड आपूर्ति के साथ–साथ लम्बित कीटाण्ड मूल्य का भुगतान किया जाएगा	गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी कीटपालकों को कम मूल्य पर कीटाण्ड उपलब्ध कराने व मानसून फसलों में कम उत्पादकता की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप रेशम कीटपालक संख्या व कोया उत्पादन में पर्याप्त वृद्वि होगी	2020–21
12	रेशम कोया उत्पादकों को मानसून फसल हेतु प्रोत्साहन सहायता	योजना का उद्देश्य मानसून फसल में तुलनात्मक रूप से कम कोया उत्पादन के कारण कीटपालकों को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति करना है	20.00	–	100 मै0टन	100 मै0टन	मानसून फसलों में कम कोया उत्पादन की प्रतिपूर्ति के रूप में कीटपालकों को रू0 20/–प्रति कि0ग्रा0 प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020–21 में 100 मै0टन कच्चे रेशम कोये पर सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है		
13	वन्या रेशम विकास योजना	प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रचुर वन सम्पदा का दोहन कर गैर शहतूती रेशम कीटपालन कार्य से रोजगार के अवसरों को जुटाना है तथा विभागीय केन्द्रों पर भी गैर शहतूती पौधालयों की स्थापना, भोज्य पौधों का उत्पादन तथा क्षेत्र में रोपण करना है	20.00	–	वृक्षारोपण– 60800 कोया उत्पादन– 2.0 लाख	वृक्षारोपण–55000 कोया उत्पादन– 2.56 लाख	योजना के अन्तर्गत 65000 वन्या पौध (मनीपुरी बांज, अर्जुन, आसन एवं अरण्डी) रोपण करना तथा 10.0 लाख संख्या में वन्या प्रजाति के रेशम कोया उत्पादन करना	राज्य में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रचुर वन सम्पदा का दोहन करते हुए उद्योगशून्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होगी	2020–21

14	रेशम बीजागार का संचालन	योजना का उद्देश्य बीज संगठन को सुदृढीकृत/पुनर्जीवित करते हुए रेषम कीटाण्डों का उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है.	31.00	–	1.02 लाख डी0एफ0 एल्स	1.5 लाख डी.एफ.एल्स	प्रदेश की महत्वपूर्ण बाईवोल्टीन बीजागार के सुदृढीकरण / पुनर्जीवीकरण के उपरान्त वर्श 2020–21 में 1.5 लाख बाईवोल्टीन कीटाण्डों का उत्पादन का लक्ष्य है	कीटाण्ड उत्पादन में आत्मनिर्भरता	2020–21
15	ग्रोथ सेन्टर में रेशम रीलिंग इकाई का संचालन	योजना का उद्देश्य फेडरेशन द्वारा कय किये गये रेशम कोये की रीलिंग करते हुए मूल्य सम्बर्धन तथा लाभार्जन करना है	38.00	–	धागा उत्पादन–3.0 मै0टन	धागा उत्पादन –3.5 मै0टन	फेडरेशन द्वारा ग्रोथ सेन्टर सेलाकुई में स्थापित मल्टी एण्ड रीलिंग मशीनों के द्वारा 3.5 मै0टन उच्च श्रेणी के रेशम धागा उत्पादन का लक्ष्य है	सहकारी क्षेत्र में धागाकरण का विकास	2020–21
16	कोया बाजारों का उच्चीकरण	योजना का उददेश्य प्रदेश में कीटपालकों द्वारा उत्पादित किये जा रहे रेशम कोये का त्वरित निस्तारण तथा कोया उत्पादकों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कोया बाजारों का उच्चीकरण करना है	35.00	–	4 कोया बाजारों का उच्चीकरण	4 कोया बाजारों का उच्चीकरण	वर्ष में चार कोया बाजारों की जीर्ण–शीर्ण अवस्थापना सुविधाओं (भवनों, विद्युत वायरिंग, शेड निर्माण) का अनुरक्षण एवं पुर्ननिर्माण किया जाना प्रस्तावित	कोया बाजार में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आगामी वर्षों में कोया विपणन हेतु सुदृढता प्राप्त होगी	2020–21
	योग रेशमः–		**1992.44**	–					
1.	**रेशम उत्पादन प्रचार प्रसार**	इस के अन्तर्गत उद्यानों पर कर्षण कियायें जैसे–निराई, गुडाई, ट्रीमिंग प्रूनिंग, आदि जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, विशुद्वीकारकों का कय तथा चॉकी उपकरणों/चॉकी कीटपालन आदि कार्य।	220.00 (प्रस्तावित)		कोया उत्पादन – 260 मै0टन	कोया उत्पादन – 289 मै0टन	कोया उत्पादन – 310 मै0टन		2020–21
	योग रेशम जिला सैक्टर		**220.00**	**–**					
	महायोग (उद्यान + रेशम + हर्बल सैक्टर + चाय + भेषज) केन्द्रपोषित + राज्य सैक्टर + वाह्य सहायतित		**42048.70**	**2000.00**					

उद्यान विभाग

सतत विकास लक्ष्यः–

क्र0 सं0	SDG संकेतक	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1.	उद्यान उत्पादों हेतु भण्डारण क्षमता (कोल्ड स्टोरेज, सी0ए0 स्टोरेज, कूल चैन आदि)	2.00 लाख मै0टन	2.25 लाख मै0टन	2.50 लाख मै0टन	कृषकों की फसलों का उचित मूल्य (15 से 20 प्रतिशत तक अधिक) उपलब्ध होना।
2.	फलों की उत्पादकता	3.68 मै0टन/है0	3.75 मै0टन/है0	3.85 मै0टन/है0	अधिक उत्पादन कर, कृषकों की आय में वृद्वि करना।
3.	सब्जियों की उत्पादकता	8.90 मै0टन/है0	9.00 मै0टन/है0	9.10 मै0टन/है0	
4.	आलू की उत्पादकता	13.75 मै0टन/है0	13.80 मै0टन/है0	13.90 मै0टन/है0	
5.	मसालों की उत्पादकता	6.63 मै0टन/है0	6.65 मै0टन/है0	6.70 मै0टन/है0	
6.	फूलों की खेती	1563 है0	1790 है0 मै0टन/है0	2000 है0	
7.	संरक्षित खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल	25.00 लाख वर्गमीटर	26.50 लाख वर्गमीटर	28.00 लाख वर्गमीटर	
8.	खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्वि करना	10 प्रतिशत	12 प्रतिशत	13 प्रतिशत	औद्यानिक उत्पादों की प्रसस्करण क्षमता में बढ़ोत्तरी कर, कृषकों के उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान कराना।
9.	कच्चे कोये का उत्पादन (कु0 प्रति है0)	0.85	0.95	समस्त विभागीय कार्यक्रमों के सफल संचालन, प्रचार–प्रसार, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्यों के माध्यम से प्रदेश में 10000 किसानों द्वारा 6.90 लाख डी0एफ0एल्स का कीटपालन कार्य कर 310 मै0टन कच्चा कोया उत्पादित किया जायेगा।	ग्रामीण एवं उद्योगशून्य क्षेत्रों में सहकारिता, नर्सरी, वृक्षारोपण, कीटपालन एवं उद्यानों पर कर्षण कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं रेशम कोया उत्पादन में वृद्धि होगी तथा पर्वतीय जनपदों से हो रहे पलायन रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। जैविक कृषिकरण को बढावा एवं शहतूती एवं वन्या भोज्य पौध सम्पदा में वृद्धि होगी।
10.	जड़ी–बूटी का टर्न ओवर	रू0 6.00 करोड़	रू0 9.00 करोड़	रू0 11.00 करोड़	कृषकों की आय में वृद्वि करना।
11.	सगन्ध पादपों का टर्न ओवर	रू0 60.00 करोड़	रू0 80.00 करोड़	रू0 90.00 करोड़	कृषकों की आय में वृद्वि करना।

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020–21

विभाग का नामः– उद्योग विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0जी0जी0ः– 8 एवं 9

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण)									
1.	001–निदेशन एवं प्रशासन 03–राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान	कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि	1542.37	0	374	374	374 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	374 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	वर्षान्त तक
2.	104–निदेशक एवं प्रशासन 42–अन्य व्यय	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	15.00	0	0	0	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	वर्षान्त तक
		योगः–	**1557.37**	**0**					
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101–औद्योगिक विकास)									
3.	02–मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी–2014	भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्सटाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल उपक्रमों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।	4000.00	0	0	5	6 इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा।	1–टैक्सटाईल उपक्रमों का विकास 2–प्रदेश के पूंजी निवेश में अभिवृद्धि करना 3– रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
4.	03–मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015	राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राज्य की आर्थिक विकास दर बनाये रखने एवं स्थानीय स्तर पर उद्यम कुशलता के अवसर प्रदान करना।	0	0	0	12	20 इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा।	1–पूंजी निवेश आकर्षित करना। 2–रोजगार सृजन। 3–प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना।	वर्षान्त तक
		योग(101):–	**4000.00**	**0**					

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग)									
5.	लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	पंचम अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	0.01	0	0	0	भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार स्थापित उद्यमों की अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	चालू योजनाओं में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं नई नीतियों का कियान्वयन।	वर्षान्त तक
6.	03–अधिष्ठान व्यय–उद्योग विभाग	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	2866.00	0	256	236	584 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	उद्योगों की स्थापना/ विकास एवं रोजगार सृजन हेतु निदेशालय/ जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक
7.	18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना	पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा देते हुये व्यापार के नये अवसर प्रदान करना।	6.01	0	0	0	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	1–पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा। 2–व्यापार के नये अवसर	वर्षान्त तक
8.	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता।	जिला एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	50.00	0	**35**	33	जनपद स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति की 35 बैठकें आयोजित की जायेंगी।	1–उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन। 2–समयबद्ध निस्तारण 3–राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण	वर्षान्त तक
9.	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	संस्थान की स्थापना कर जनपद स्तर पर बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देते हुये स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।	0.01	0	0	0	–	भावी उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु समस्त जानकारी के साथ–साथ जोखिम वहन हेतु सक्षम बनाना।	वर्षान्त तक
10.	क्लस्टर विकास योजना	प्रदेश के जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कर क्लस्टर के रूप में उद्यमों की स्थापना द्वारा पूंजी निवेश प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के साथ–साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।	100.00	0	0	5	पर्वतीय जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास द्वारा 10 क्लस्टर विकासित किये जायेंगे।	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
11.	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति।	पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित उद्यम तथा नये उद्यम स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर पलायन की रोकथाम।	2000.00	0	448	35	नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में 30 पर्वतीय इकाईयों को लाभान्वित किया जायेगा।	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक
12.	मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान	केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार से समन्वय करते हुये विभागीय योजनाओं की समीक्षा करना।	68.70	0	12	12	12 कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।	वर्षान्त तक
13.	उत्तराखण्ड माटी कला परिषद को सहायता	प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित कर उन्हें विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना।	10.00	0	338	5	30 माटी कला शिल्पियों को विद्युत चालित चाक वितरण किये जायेंगे।	1–प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित करना। 2–बाजार आधारित विकास	वर्षान्त तक
14.	एमएसएमई अवस्थापना विकास निधि	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु।	200.00	0	0	1	एक औद्योगिक आस्थान का सुदृढ़ीकरण	1–औद्योगिक आस्थान में अवस्थापना विकास 2–लघु उद्योगों की स्थापना 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
15.	महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	नीति के अन्तर्गत प्रदेश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु पूंजी निवेश प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	600.00	0	12	50	नीति के अन्तर्गत महिला उद्यमियों की 50 इकाईयों को प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।	प्रदेश में महिला उद्यमिता के माध्यम से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
16.	9801–नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट का निर्माण	प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा/ हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	1000.00	0	4	5	पर्वतीय जनपदों के एक औद्योगिक आस्थानों में तथा दो ग्रामीण औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना विकास।	प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा बुनकर शिल्पियों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	वर्षान्त तक
17.	प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	प्रदेश में समुचित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर उद्यम स्थापना कर रोजगार के	3500.00	0	**167**	240	नीति के अन्तर्गत 250 स्थापित उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना से पूंजी निवेश में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
		अवसरों में वृद्धि के साथ–साथ पलायन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराना।					उपलब्ध कराये जायेंगे।	वृद्धि तथा पलायन पर रोक।	
18.	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में उद्यमरत अथवा सम्भाव्य उद्यमियों को उनकी निष्पादन क्षमता में बृद्धि करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं बाजार मॉग के अनुरूप विकसित किये जाने के लिये उद्यमियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण।	50.00	0	**300**	397	विभिन्न ट्रेडों में 450 युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार से जोड़ा जायेगा।	तकनीकी दक्षता प्रदान करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार की उपलब्धता।	वर्षान्त तक
19.	एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) की स्थापना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को क्लस्टर विकास, विपणन, कौशल विकास, तकनीकी सहायता, वित्तीय/ऋण प्रबन्धन एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिये मार्गदर्शन/परामर्श हेतु विभागीय स्तर पर विशेषज्ञता प्राप्त परामर्शदाताओं को मानदेय पर नियुक्त कर एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई गठित की गई है।	50.00	0	1	1	बैंकिंग एवं वित्त, निर्यात, विपणन, डिजाईन एवं टैक्सटाईल विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य के अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन।	प्रदेश के अप्रयुक्त संसाधनों का उचित प्रयोग, निर्मित उत्पाद हेतु विपणन के उचित अवसर, उत्पादों के उत्पादन में उन्नत डिजाइनों का समावेश तथा बैंक लिंकेज हेतु एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी।	वर्षान्त तक
20.	स्टार्टअप एण्ड स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुमोदित परियोजनाओं में राज्य के युवाओं को टॉपअप/वाईविलिटी गैप फण्डिंग के लिये योजनान्तर्गत नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के साथ–साथ स्टैण्डअप लोन, टॉपअप, वाईविलिटी गैप फण्डिंग आदि के	400.00	0	17	66	200 स्टॉर्टअप तैयार करना।	1–प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान करना। 2–प्रक्रिया एवं उत्पाद के स्तर पर नवोनमेषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
		द्वारा राज्य के युवाओं को अभिनव उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा टैक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेसन केन्द्र की स्थापना।							
21.	औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार	प्रदेश में स्थापित उद्यमों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु प्रचार–प्रसार तथा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।	300.00	0	36	45	3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 24 राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा 28 जनपद स्तरीय मेले एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ राज्य सरकारों द्वारा 18 सेमीनार आयोजित किये जायेंगे।	1–विपणन प्रोत्साहन 2–योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमिता के वातावरण के सृजन हेतु अभिप्रेरणा का विकास	वर्षान्त तक
22.	उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरूष्कार योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा/ हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि तथा उनके शिल्प को प्रोत्साहित करना।	6.00	0	84	84	प्रदेश स्तर पर 6 उद्यमियों एवं शिल्पियों तथा जनपद स्तर पर 78 उद्यमियों एवं शिल्पियों को पुरस्कृत किया गया।	1–उत्पादों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि 2–उत्पाद के साथ–साथ उद्यमी/शिल्पी/ बुनकर का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमी/शिल्पी/बुनकर की मान्यता	वर्षान्त तक
23.	ईज आफ डूईंग बिजनेस	योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजन तथा उद्यम स्थापना हेतु प्राप्त की जाने वाली समस्त अनुज्ञाओं/ अनापत्तियों/स्वीकृतियों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार के अधीन समस्त रेखीय विभागों के मध्य औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु समन्वय करना।	800.00	0	0	0	योजनान्तर्गत राज्यों हेतु 372 कार्य विन्दुओं (Action Points) पर 14 परामर्शदाताओं की सेवायें लेते हुये कियान्वयन।	1–निवेश को आकर्षित करना 2–अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा 3–रोजगार के अवसर 4–पलायन पर रोक	वर्षान्त तक
24.	अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला	राज्य में विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से	1000.00	0	1	1	माह अप्रैल, 2020 में वैलनेस समिट का	1–निवेश को आकर्षित करना 2–योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
		उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निवेशक सम्मेलन **"Destination Uttarakhand"** का आयोजन।					आयोजन।	3–रोजगार के अवसर सृजित करना	
25.	सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन	प्रदेश की आर्थिकी में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। ''वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम(जीएसटी)'' के लागू होने के पश्चात् राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में सेवा क्षेत्र का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विजन–2020 में सेवा क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।	200.00	0	0	0	सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन।	1–जीएसटी को प्रोत्साहन 2–सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना	वर्षान्त तक
26.	एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश हेतु।	50.00	0	0	0	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	वर्षान्त तक
27.	ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु।	750.00	0	0	83	25 नये ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जायेंगे।	1–प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2–पलायन पर रोक 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
28.	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान आदि हेतु।	1500.00	0	0	10	निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रख्यापित विभिन्न नीतियों में प्राविधानित प्रोत्साहन 10 इकाईयों को उपलब्ध कराये जायेंगे।	1–पूंजी निवेश आकर्षित करना। 2–रोजगार सृजन। 3–प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना।	वर्षान्त तक
29.	9701–वाह्य सहायतित परियोजनायें		1000.00	0	0	0	–	–	वर्षान्त तक
		योगः–	**16506.73**	**0**					

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 103–हथकरघा)									
30.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	100.00	0	1	1	कार्यक्रम के अधीन राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया जाना। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
31.	नन्दा देवी योजना	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ–साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम–मटेना, जनपद–अल्मोड़ा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।	50.00	0	85	100	मै0 हंस फाउन्डेशन के माध्यम से संचालन।	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के माध्यम से स्वरोजगार एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
32.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन।	15.00	0	225	235	225 शिल्पियों को रू0 400/– प्रतिमाह प्रति शिल्पी सम्मान स्वरूप प्रदान करना।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु लोगों को प्रोत्साहन, परम्परागत धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन।	वर्षान्त तक
33.	समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार विकास योजना	प्रदेश के 10 ब्लॉकों के शिल्पियों को, जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, को सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, डिजाइन विकास, बैंक लिंकेज, प्रचार–प्रसार आदि के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना।	5.00	0	0	0	10 सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना।	1–शिल्पियों विशेषतः महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना विकसित करना। 2–प्रदेश की आर्थिकी में महिलाओं की भूमिका का उचित चित्रण करना। 3–विपणन विकास 4–क्रेडिट लिंकेज 5–स्वरोजगार सृजित करना	वर्षान्त तक
34.	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार	प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की	10.00	0	5	5	प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ 5	राज्य की परम्परागत कला एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुये उसके संवर्द्धन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
		परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशील, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पियों को चयनित कर पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।					शिल्पियों का चयन करते हुये पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति।	क्रियान्वयन।	
35.	हथकरघा कताई–बुनाई महिला कमकारों को सहायता	हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को करघे उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हुये उनकी वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	10.00	0	0	0	–	–	वर्षान्त तक
36.	राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर का सुधारीकरण एवं एपरेल प्रशिक्षण योजना	राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर के समुचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड के युवाओं को Appreal, Embrodiary एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र का सुधारीकरण।	50.00	0	1	1	–	1–युवाओं को एपरेल, इम्ब्राईडरी एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण 2–इस केन्द्र को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित करना 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
37.	18–वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश	63.50	0	0	0	–	–	
		योगः–	**303.51**	**0**					

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105–खादी ग्रामोद्योग)									
38.	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार कर प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं के विपणन प्रोत्साहन व प्रशिक्षण।	150.00	0	0	0	25 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की योजनाओं का प्रचार–प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग की 25 प्रदर्शनियों में प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं का विपणन व प्रोत्साहन तथा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 150 लोगों में कौशल विकास।	1–खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों के प्रति लोगों को आकर्षित करना 2–क्रेडिट लिंकेज 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
39.	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता (वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान)	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं खादी व्यय हेतु।	1019.99	0	248	248	248 कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	वर्षान्त तक
40.	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट प्रदान करना।	500.00	0	0	0	60 संस्थाओं के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 200 बिक्री केन्द्रों में हुई बिक्री के सापेक्ष 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किया जायेगा।	1–खादी वस्त्रोद्योग को बढ़ावा 2–खादी क्षेत्र में रोजगार सृजन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन प्रोत्साहन	वर्षान्त तक
41.	रेशा खरीद हेतु अनुदान	प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उत्पादों के उत्पादन हेतु रेशा क्रय कर उपलब्ध कराया जाना।	0.01	0	0	0	जसपुर, अल्मोड़ा, चम्बा तथा श्रीनगर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राकृतिक रेशा क्रय करते हुये इसमें मूल्यवर्द्धन कर नवीन उत्पाद हेतु विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।	1–प्राकृतिक रेशों का मूल्यवर्द्धन 2–अभिनव उत्पाद 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
	योग(105):–		**1670.00**	**0**					

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2853–भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून)									
42.	**2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 001–निदेशन तथा प्रशासन** 03– खनिज प्रशासन का अधिष्ठान	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	1101.81	0	182	182	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में 182 कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय।	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	वर्षान्त तक
43.	**04–राज्य खनिज विकास परिषद**	परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु।	10.00	0	0	0	परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु।	राज्य खनिज विकास परिषद के कार्यों का सम्पादन।	वर्षान्त तक
44.	**102–खनिज खोज** 03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	73.50	0	97 उपखनिज क्षेत्रों की ई–नीलामी	94 उपखनिज क्षेत्रों की ई–नीलामी तथा 5 खनन पट्टे स्वीकृत	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	वर्षान्त तक
45.	**102–खनिज खोज** 04–खनन सर्विलांश	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	126.00	0	0	0	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	वर्षान्त तक
		योगः–	**1311.31**	**0**					
46.	**4851–102–**सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एन0पी0बी0सहित)	प्रदेश तथा अन्य आस–पास के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग/CAD/CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	0	1000.00	1	1	एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।	प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टि प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टिनेन्स, एडवांश मशीन मेन्टिनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीण्एलण्सीण्, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
47.	**4851–103**–हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान	परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्यों हेतु संस्थान की स्थापना।	0	0.01	0	0	संस्थान की स्थापना द्वारा राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्य।	शिल्पियों को कौशल अभिवृद्धि, डिजाईन विकास तथा शिल्पियों का व्यवसायिक उत्पादन द्वारा आय में वृद्धि के साथ–साथ उनके शिल्प की पहचान प्रदेश से बाहर बनाने हेतु।	वर्षान्त तक
48.	**10**–नेशनल इन्सटीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना	उत्तराखण्ड तथा आस–पास के क्षेत्रों के बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा देहरादून में ही उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित यह केन्द्र प्रतिवर्ष 600 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में, विशेष रूप से फैशन टैक्नोलॉजी कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	0	0.01	0	0	बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना।	बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।	
49.	**11**–ग्रोथ सेन्टर का संचालन	प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।	0	750.00	0	83	25 नये ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जायेंगे।	1–प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2–पलायन पर रोक 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
50.	**9701**–वाह्य सहायतित परियोजनायें		0	0.01	0	0	–	–	–
		योगः–	**0**	**1750.03**					
51.	4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय 08–सिडकुल को सहायता	सिडकुल को सहायता	**0**	**488.33**	**0**	**0**	–	–	–
	योग(अनुदान संख्या–23):–		**25348.92**	**2238.36**					

अनुदान संख्या–30
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	10.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन ... शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के .... शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
		योगः–	**10.00**	**0**					

अनुदान संख्या–31
(ट्राईबल सब प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के जनजातियों के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	10.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन ..... शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के ..... शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
2.	थारू बोक्स एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना।	50.00	0	0	75	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान की जायेगी।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना।	वर्षान्त तक
		योगः–	**60.00**	**0**					

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0– 2.3, 2.4, 2.5, 8.12, 12.2, 13.1

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रपोषित योजनायें									
1–	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	1.कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना है। 2.गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता, भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सदृढ़ीकरण। 3.स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना / कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन। 4.मूल्य संवर्द्धन माडल को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषको की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। 5. कृषि के साथ–साथ	**5300.00**	–	वर्ष 2018–19 में 55 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 18 परियोजनायें पूर्ण हुयी तथा 37 परियोजनाओं पर वर्ष 2019–20 में कार्य होना है। इसके अतिरिक्त पूर्व में एस0एल0 एस0सी0 से स्वीकृत 17 परियोजनाओं पर भी वर्ष 2019–20 में कार्य होना था।	वर्ष 2019–20 में संचालित 37 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 15 परियोजनायें पूर्ण हो जायेंगी। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में आवंटन के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि सम्बन्धित परियोजनाओं को उपलब्ध करा दी गयी है। अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार से धनराशि की मांग की गयी है। यदि धनराशि प्राप्त होती है तो 22 संचालित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।	वर्ष 2019–20 की 22 संचालित परियोजनाओं, पूर्व में एस0एल0एस0 सी0 से स्वीकृत 17 परियोजनाओं तथा वर्ष 2020–21 हेतु एस0एल0 एस0सी0 में स्वीकृत 03 परियोजनाओं, इस प्रकार कुल 42 परियोजनाओं के लिये भारत सरकार से रू0 71196.91 लाख की मांग की गयी है।	वर्तमान में संचालित 22 परियोजनायें, पूर्ण होने, वर्ष 2020–21 की नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होने तथा नमामि गंगे–स्वच्छता एक्शन प्लान की एक परियोजना पूर्ण होने की सम्भावना एवं 2020–21 की 02 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।	एक वर्ष
					सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति अपनी विभागीय सूचनाओं में उपलब्ध करायी जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् है :–				
					1. बहुउददे्शीय जल संभरण टैंकों का निर्माण (संख्या में)–18	1. बहुउददे्शीय जल संभरण टैंकों का निर्माण (सं0 में)–20	परियोजना प्रस्तावित नहीं है।	1. पूर्व में निर्मित संरचना से सिंचाई के साथ कृषको की आय में वृद्धि होती रहेगी।	

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—तदैव —	अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन। 6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को शसक्त बनाना।			**2.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण** –33381 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–85 संख्या **3.एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम–** 2700 है0 आच्छादित। चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण / घास, रोपण, सुरक्षा दीवार, रूफ रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक, हॉज, जल संचय संरचनायें आदि कार्य। **4. अतिवृष्टि क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य**–1212 है0 उपचारित। चैक	**2.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण** –50541 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या **3.एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम**–1820 है0 आच्छादित। चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण / घास, रोपण, सुरक्षा दीवार, रूफ रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक, हॉज, जल संचय संरचनायें आदि कार्य। **4. अतिवृष्टि क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य**–1690 है0 उपचारित। चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण, सुरक्षा दीवार आदि कार्य।	**2.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण** –62000 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या **3. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम–** 4310 है0। चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण / घास, रोपण, सुरक्षा दीवार, रूफ रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक, हॉज, जल संचय संरचनायें आदि कार्य किये जायेंगे। **4. अतिवृष्टि क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य**–3065 है0 उपचारित। चैक डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण, सुरक्षा दीवार आदि कार्य।	**2. जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी,** जिससे जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। **3. मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य होंगे, जिससे मृदा**–क्षरण रूकेगा, नमी संचय होगी एवं सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, फलस्वरूप कृषकों की आय बढ़ेगी। **4. मृदा एवं जल का संरक्षण होगा।**	

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—तदैव —				डैम, चैक वॉल, वृक्षारोपण, सुरक्षा दीवार आदि कार्य। **5 जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़–** 5800 मीटर **6. फसल उत्पादन कार्यक्रम–** फसल प्रदर्शन –1284 है0 बीज वितरण–693 कुं० सूक्ष्म तत्व एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–1783 है०, जल सवंहन पाईप–54050 मीटर, प्रशिक्षण–16 संख्या **7. हिल सीड बैंक–** 739 है0 में बीज उत्पादन कार्यक्रम	**5 जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़–** 16520 मीटर **6. फसल उत्पादन कार्यक्रम– फसल प्रदर्शन** –1092 है0 बीज वितरण–425 कुं० सूक्ष्म तत्व एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–8487 है० जल संवहन पाईप–14825 मीटर, प्रशिक्षण–13 संख्या **7. हिल सीड बैंक–** 749 है0 में बीज उत्पादन कार्यक्रम	**5 जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़–** 14475 मीटर **6. फसल उत्पादन कार्यक्रम–** फसल प्रदर्शन –1000 है0 बीज वितरण–1100 कुं० सूक्ष्म तत्व एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–8500 है० प्रशिक्षण–16 संख्या **7. हिल सीड बैंक**–800 है0 बीज उत्पादन कार्यक्रम	**5.** जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा होगी, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी। **6.** कृषकों को फसल उत्पादन की नवीनतम तकनीकियां प्राप्त होंगी, अनुदान पर उन्नत प्रजाति के बीज एवं कृषि निवेश प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। **7. हिल सीड बैंक–** पर्वतीय क्षेत्रों के लिये स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धाता होगी। उत्पादन में वृद्धि	

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—तदैव —				**8. कृषक, महिला एवं युवा बहुउद्देशीय** प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार केन्द्र देहरादून का निर्माण –1 (प्रगति पर)	**8. कृषक, महिला एवं युवा बहुउद्देशीय** प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार केन्द्र देहरादून का निर्माण पूर्ण।	**8. प्रशिक्षण कार्यक्रम अयोजित** होगें।	**8. तकनीकियों का प्रचार प्रसार**	
					9. बीज परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण देहरादून–1 (प्रगति पर)	**9. बीज परीक्षण प्रयोगशाला** देहरादून का निर्माण पूर्ण।	**9. प्रयोगशाला में परीक्षण कार्य** होगें।	**9. कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज** प्राप्त होगें।	
					10. न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केन्द्रों का निर्माण–3 (प्रगति पर)	**10. न्याय पंचायत स्तर निर्मित किये जा रहे** 3 कृषि निवेश केन्द्रों में से 2 पूर्ण, 01 प्रगति पर	**10. न्याय पंचायत स्तर पर कृषि** निवेश केन्द्रों पर निवेश रखे जा सकेगें।	**10. न्याय–पंचायतों पर कृषि निवेश केन्द्र बनने** से कृषकों को कृषि निवेश सुगमता से उपलब्ध होंगे।	
					11. जैविक कृषि केन्द्र का निर्माण–1 (प्रगति पर)	**11. जैविक कृषि केन्द्र का निर्माण–** 1 (प्रगति पर)	**11. जैविक कृषि केन्द्र का** निर्माण पूर्ण होगा।	**11. कृषकों को जैविक कृषि की उन्नत** तकनीकियों की जानकारी एवं प्रचार प्रसार होगी।	

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2–	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, दलहन एवं तिलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।	1950.00 + 100.00	–	1. प्रदर्शन (है0)– 5794 2. बीज वितरण (कुं0)–7593 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–36144 4. यंत्र वितरण (सं0)–1596 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–26519 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–94 7. स्थानीय पहल टैंक (सं0)–51 8. बीज उत्पादन (कुं0)– 572	1. प्रदर्शन (है0)– 6138 2. बीज वितरण (कुं0)–10673 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–21301 4. यंत्र वितरण (सं0)–702 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–18164 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–55 7. स्थानीय पहल टैंक (सं0)–17 8. बीज उत्पादन (कुं0)– 0 9. दाल मिल (सं0) – 1	1. प्रदर्शन (है0)– 6845 2. बीज वितरण (कुं0)–13535 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–26600 4. यंत्र वितरण (सं0)–1045 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–29000 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–85 7. स्थानीय पहल टैंक (सं0)–55 8. बीज उत्पादन (कुं0)– 180 9. दाल मिल(सं0) – 5	योजना में चयनित जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में चावल, जनपद पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी,अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में गेहूँ जनपद चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में पौष्टिक अनाज तथा सभी जनपदों में मोटे अनाज एवं तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
3.	**राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**								
3–	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषित एकीकृत	1015.00	–	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3059 है0, **ब– मूल्यवर्द्धन एवं**	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन–3000 है0, **ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन**	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन–3000 है0, **ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन**	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध	